23

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

एमपीलैड फंड योजना के तहत निधि आवंटन और उपयोग की समीक्षा

[प्राक्कलन समिति की 14वीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही]

प्राक्कलन समिति
(2022-23)

तेईसवाँ प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

तेईसवाँ प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति
(2022-23)
(सत्रहवीं लोक सभा)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

एमपीलैड फंड योजना के तहत निधि आवंटन और उपयोग की समीक्षा

(21 मार्च, 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च 2023 / फाल्गुन 1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति (2022-23) की संरचना		(ii)
प्राक्कथन		(iv)
अध्याय एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय दो	सिफारशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है	18
अध्याय तीन	सिफारशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	36
अध्याय चार	सिफारशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं	37
अध्याय-पांच	सिफारशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	43

परिशिष्ट

I.	प्राक्कलन समिति (2022-23) की 16 मार्च 2023 को हुई 16वीं बैठक का कार्यवाही सारांश	44
II.	सिफारिशों का विश्लेषण	46

प्राक्कलन समिति की संरचना (2022-2023)

श्री गिरीश भालचंद्र बापट – सभापति

2. कुँवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री पी.पी. चौधरी,
6. श्री निहाल चंद चौहान
7. श्री हरीश द्विवेदी
8 श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर
9. डॉ. संजय जायसवाल
10. श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप
11. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
12. श्री पिनाकी मिश्रा
13. श्री के. मुरलीधरन
14. श्री जुआल ओराम
15. श्री कमलेश पासवान
16. डॉ. के.सी. पटेल
17. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
18. श्री विनायक भाऊराव राउत
19. श्री अशोक कुमार रावत
20. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी
21. श्री राजीव प्रताप रूडी
22. श्री दिलीप शइकीया
23. श्री फ्रांसिस्को कॉसमे सरदिन्हा
24. श्री जुगल किशोर शर्मा
25. श्री प्रताप सिम्हा
26. श्री परवेश साहिब सिंह
27. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
28. श्री केसिनेनी श्रीनिवास (नानी)
29. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
30. श्री श्याम सिंह यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता भट्ट पंडा	-	अपर सचिव
2.	श्री मुरलीधरन. पी	-	निदेशक
3.	डॉ. (श्रीमती) शीतल कपूर	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, प्राक्कलन समिति (2022-23) सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित 'एमपीलैड फंड योजना के तहत निधि आवंटन और उपयोग की समीक्षा' विषय पर समिति (2021-22) के चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. प्राक्कलन समिति (2021-22) का चौदहवां प्रतिवेदन 4 अप्रैल, 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही को दर्शाते हुए अपने उत्तर 18 अक्टूबर, 2022 को भेजे। समिति ने 16 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. प्राक्कलन समिति के चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विश्लेषण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

नई दिल्ली
16 मार्च, 2023
25 फाल्गुन ,1944(शक)

गिरीश भालचन्द्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

अध्याय – एक

प्रतिवेदन

समिति की यह प्रतिवेदन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित 'एमपीलैड फंड योजना के तहत निधि आवंटन और उपयोग की समीक्षा' विषय पर समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में है।

2. चौदहवां प्रतिवेदन 04.04.2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें 18 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के की-गई-कार्रवाई उत्तर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त हो गए हैं।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के उत्तरों को व्यापक तौर पर इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया गया है:-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

सिफारिश पैरा सं. 1,2,3,4,6,7,8,10,12,13,14,15 और 16 **कुल: 13**

(अध्याय-दो)

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों के देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:

सिफारिश पैरा सं. शून्य **कुल: 00**

(अध्याय-तीन)

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए है:

सिफारिश पैरा सं. 5,9,17 और 18 **कुल:04**

(अध्याय-चार)

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए है:

सिफारिश पैरा सं. 11 **कुल: 01**

(अध्याय-पांच)

4. समिति यह चाहती है कि प्रतिवेदन के अध्याय-I में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण और अध्याय-V में अंतर्विष्ट सिफारिशों, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिये हैं, के संबंध में की-गई-अंतिम कार्रवाई उत्तर सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के छह माह के भीतर उसे भेजे जाए।

5. अब समिति अपनी उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर विचार करेगी जिन्हें दोहराने जाने या जिन पर और टिप्पण किये जाने की आवश्यकता है।

टिप्पणी/सिफारिशें(पैरा सं. 2)

एमपीलैड्स निधियों की निर्मुक्ति

6. चौदहवें मूल प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट अपनी सिफारिश में, समिति ने निम्नवत कहा था:

"समिति यह नोट करती है कि आम चुनाव के बाद लोकसभा के गठन के समय और राज्यसभा सदस्य के चुनाव के बाद, बिना किसी दस्तावेज के नोडल जिला प्राधिकारी को 2.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की जाती है।तथापि, शेष वर्षों में, बाद के वर्षों में पहली किस्त जारी करने का एक मानदंड पिछले वर्ष की पहली किस्त के व्यय के कम से कम 80% को शामिल करते हुए विगत वर्ष का अनंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। समिति लगभग एक वर्ष के अंतराल में निधियों का 80% उपयोग प्रस्तुत करने की इस शर्त को एक बाधा के रूप में देखती है जब प्रत्येक राज्य में क्षेत्र-वार स्थितियाँ और परिस्थितियाँ एक दूसरे से बहुत भिन्न होती हैं। समिति ने पाया कि एक वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का मानदंड बोझिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है क्योंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने और प्रस्तुत करने में विभिन्न प्राधिकारी, कागजी कार्य और कई औपचारिकताएं शामिल हैं। इससे निरपवाद रूप से निधियां जारी करने में विलंब होता है और संबंधित एजेंसियों/ठेकेदारों को भुगतान करने में भी देरी होती है जिसके परिणामस्वरूप चालू परियोजनाएं रुक जाती हैं और लागत बढ़ जाती है।

अतएव, समिति मंत्रालय से उपरोक्त मानदंडों की समीक्षा करने और दिशानिर्देशों में उचित संशोधन लाने का आग्रह करती है ताकि निधि जारी करने की प्रक्रिया को सरल और तेज किया जा सके। समिति यह

सिफारिश करती है कि एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्ताव की प्रक्रिया, उसके अनुमान, निविदा, बिलों को पारित करने और ठेकेदारों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए जो एमपीलैड योजना के तहत परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन में सहायता करेगा।

7. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, निम्नवत कहा:

"<u>एमपीलैड्स के अंतर्गत निधियां जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण</u>

निधियां जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त को जीएफआर के प्रावधानों के अनुरूप एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है। तथापि, मंत्रालय एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के व्यापक संशोधन और वित्त मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 9-3-2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा शुरू की गई संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, जिसमें मंत्रालय एक प्रणाली स्थापित करने का विचार रखता है जिसके तहत जिला प्राधिकारियों को मंत्रालय द्वारा वास्तविक निधियां जारी किए जाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उन्हें पूरे वित्तीय वर्ष के लिए आहरण सीमाएं आवंटित की जाएंगी और वास्तविक निधियां वास्तविक समय के आधार पर सीधे वेंडर्स के पास प्रवाहित होंगी। इसलिए, इस योजना के तहत निधियों की अधिक कुशल तरीके से निर्मुक्ति, उपयोग और निगरानी किए जाने की आशा है।

<u>परियोजनाओं का कार्यान्वयन</u>

एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा 3.3 के अनुसार, जिला प्राधिकारी ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करेगा जो पात्र कार्यों का कार्यान्वयन गुणवत्तापूर्वक, समय पर और संतोषजनक रूप से करने में सक्षम हो। जिला प्राधिकारी कार्यनिष्पादन के मामले में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के स्थापित तरीकों से काम की जांच, तकनीकी कार्य का आकलन, निविदा एवं प्रशासनिक प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और ऐसे कार्यों के समय-समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। एमपीलैड्स के अंतर्गत परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान पहले से मौजूद हैं :-

सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्, सभी अनुशंसित पात्र कार्य अनुशंसा की प्राप्ति की तिथि से 75 दिनों के भीतर स्वीकृत किए जाने चाहिए । तथापि, जिला प्राधिकारी अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अस्वीकृति, यदि कोई है, के संबंध में उनके कारणों सहित संसद सदस्यों को सूचित करेगा । यदि इस खंड में उल्लिखित समय सीमाएं निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित आदर्श आचार संहिता के प्रचालन की अवधि के भीतर आती हैं, तो यह अवधि जो आदर्श आचार संहिता द्वारा अधिसूचित की गई है, समय-सीमाओं की गणना में शामिल नहीं की जाएगी ।

स्वीकृति पत्र/आदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कार्य समापन की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। कार्य समापन के लिए समय-सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि किसी विशेष मामले में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष की सीमा को पार कर जाता है, स्वीकृति पत्र/आदेश में उसके लिए विशेष कारण शामिल किए जाएंगे । स्वीकृति पत्र/आदेश में राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध उचित कार्रवाई की शर्त भी शामिल की जाएगी। संबंधित संसद सदस्य को स्वीकृति पत्र/आदेश की प्रति भेजी जाएगी ।

योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तर के अधिकारियों के पास होता है। इस योजना के अंतर्गत कार्यों के शीघ्र कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा जिले के अधिकारियों को पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। जिला प्राधिकारियों को अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व सक्षम जिला अधिकारियों से कार्यों को तकनीकी रूप से अनुमोदित करवाने और वित्तीय प्राक्कलन तैयार करवाने का पूर्ण अधिकार होगा। कार्य स्वीकृत करने से पूर्व जिला प्राधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारियों से सभी अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं और कार्य दिशानिर्देशों के अनुरूप है।''

8. समिति ने मंत्रालय से उत्तरवर्ती वर्ष में पहली किस्त जारी करने के लिए पिछले वर्ष के अनंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के मानदंड की समीक्षा करने का आग्रह किया था क्योंकि ऐसी स्थिति से न केवल निधि जारी करने में देरी होती है बल्कि एजेंसियों/ठेकेदारों को भुगतान में भी देरी होती है। मंत्रालय ने की-गई-कार्रवाई उत्तर में बताया है कि वे एमपीलैड दिशानिर्देशों के व्यापक संशोधन और संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में

हैं। समिति को आगे बताया गया है कि मंत्रालय का इरादा एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जहां प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए जिला प्राधिकरणों को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए आहरण सीमा आवंटित की जाएगी। समिति इस बात की सराहना करती है कि मंत्रालय ने आहरण सीमा निर्धारित करके वास्तविक समय के आधार पर वेंडर्स को वास्तविक निधि उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। समिति यह जानना चाहती है कि आहरण सीमा को किस प्रकार निर्धारित करने का प्रस्ताव है और इसे किस प्रकार नियंत्रित/समीक्षित किया जाएगा। समिति यह चाहती है कि उसे इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से अवगत कराया जाए।

टिप्पणियाँ/सिफारिशें(पैरा सं. 3)

एमपीलैड्स निधि का निलंबन

9. 14वें मूल प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट अपनी सिफारिश में, समिति ने निम्नवत कहा था:

"समिति यह नोट करती है कि संसद सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से आम जनता/सोसाइटियों/ट्रस्टों से लगातार लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्यों को करने/ परिसंपत्तियों का सृजन करने हेतु कई अनुरोध प्राप्त होते हैं। वैश्विक महामारी कोविड -19 के दौरान दो वर्षों,अर्थात 2020-21 और 2021-22 के लिए निलंबित की गई एमपीलैड्स निधियों के साथ , संसद सदस्य किसी भी नई परियोजना की संस्तुति करने में सक्षम नहीं हैं और इस प्रकार आम जनता/सोसाइटियों/ट्रस्टों के इन अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है। समिति पुरजोर रूप से यह चाहती है कि चूंकि देश में वैश्विक महामारी कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ है, वर्तमान सांसदों के लिए, 5वें वर्ष की एमपीलैड्स निधि को चौथे वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से जारी किया जा सकता है , ताकि उपरोक्त अनुरोधों पर, संस्तुत/संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए सांसदों को सक्षम बनाया जा सके ।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किस्तों के छमाह में जारी करने की एक निश्चित समय-सीमा होनी चाहिए । समिति को आशा है कि किसी विशेष वर्ष की दूसरी किस्त शीघ्र जारी करने से संबंधित कंपनी/ठेकेदारों को समय पर प्रेषण सुनिश्चित होगा ताकि परियोजनाओं को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।

चूंकि वित्तीय वर्ष 2020 - 21 और वित्तीय वर्ष 2021 - 22 के लिए एमपीलैड्स का संचालन न करने का निर्णय लिया गया था,इसलिए दिनांक 31.03.2020 को या इससे पहले अनिर्मुक्त किस्तों सहित इन दो वर्षों के दौरान एमपीलैड्स के अंतर्गत किस्तें जारी नहीं की गई थीं । कोविड -19 के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए वित्त वर्ष 2020-21 हेतु एमपीलैड्स के लिए वार्षिक बजटीय परिव्यय को व्यय विभाग,वित्त मंत्रालय के निपटान पर रखा गया था । तथापि, विषय की जांच के दौरान, समिति ने पाया कि अधिकांश संसद सदस्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 की किस्तें भी जारी नहीं की गईं। समिति नोट करती है कि कुछ स्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं या पूर्ण होने के चरण में हैं, परंतु पिछली किस्तों को जारी न करने के कारण, ऐसी परियोजनाओं/कार्यों के लिए भुगतान अभी भी लंबित हैं, जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्य से परियोजनाओं को बीच में ही छोड़ दिया गया। इससे निपटने के लिए, समिति अब सरकार से एमपीलैड योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने हेतु पिछले वर्षों की लंबित किस्तों को जारी करने के लिए उचित व्यवस्था करने और लोगों को एमपीलैड्स के तहत पूर्व में बंद/ परित्यक्त परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करने में सहायता करने का आह्वान करती है।"

10. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

5वें वर्ष की एमपीलैड्स निधि को चौथे वर्ष में अग्रिम रूप से जारी करना

5वें वर्ष की एमपीलैड्स निधि को चौथे वर्ष में अग्रिम रूप से जारी करना संभव नहीं है क्योंकि यह जीएफआर के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । तथापि, मंत्रालय एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के व्यापक संशोधन और वित्त मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 9-3-2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा शुरू की गई संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, जिसमें मंत्रालय द्वारा एक प्रणाली स्थापित करने का विचार है जिसके तहत जिला प्राधिकारियों को मंत्रालय द्वारा वास्तविक निधियां जारी किए जाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उन्हें पूरे वित्तीय वर्ष के लिए आहरण सीमाएं आवंटित की जाएंगी और वास्तविक निधियां वास्तविक समय के आधार पर सीधे वेंडर्स के पास प्रवाहित होंगी। इसलिए, इस योजना के तहत निधियों की अधिक कुशल तरीके से निर्मुक्ति , उपयोग और निगरानी किए जाने की आशा है।

विगत वर्षों की किस्तों की निर्मुक्ति

एमपीलैड्स के तहत निधियां जारी करना पूर्ण रूप से निधि से संबंधित मानदंडों की पूर्ति और निधि से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने तथा उन दस्तावेजों को जांच के क्रम में पाए जाने के साथ-साथ अव्ययित और अस्वीकृत शेष के मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन है। जिला प्राधिकारियों द्वारा निधि से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों जैसे उपयोगिता प्रमाणपत्र, अनंतिम उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब होने से लंबित किस्तों की निर्मुक्ति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है ।

मंत्रालय निधि से संबंधित मानदंड पूरे होते ही एमपीलैड्स के तहत लंबित किस्तों को यथाशीघ्र जारी कर रहा है और निधि से संबंधित दस्तावेज, जैसा कि एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में प्रावधान है, जिला प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 722.50 करोड़ रुपये की 289 किस्तें और वित्त वर्ष 2019-20 से पहले की अवधि से संबंधित 265 करोड़ रुपये की 106 किस्तों सहित 1729.5 करोड़ रुपये की 766 किस्तें जारी की गईं हैं । इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2022-23 (दिनांक 31.08.2022 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान, 836.5 करोड़ रुपये की 367 किस्तें जारी की गई हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 75 करोड़ रुपये की 30 किस्तें और वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहले की अवधि से संबंधित 277.5 करोड़ रुपये की 111 किस्तें शामिल हैं।

11. कोविड महामारी के दो वर्षों (वर्ष 2020-22) की अप्रत्याशित स्थिति के मद्देनजर, जब संसद सदस्य किसी भी परियोजना की सिफारिश करने में असमर्थ थे और एमपीलैड फंड निलंबित कर दिया गया था, तो समिति ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया था कि कई परियोजनाएं, जो या तो पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के अंतिम चरण में थीं, पिछली किस्तों को जारी नहीं करने के कारण इंतजार करना पड़ा। इसलिए, समिति ने मंत्रालय से समय पर निधियां जारी करने के लिए समुचित व्यवस्था करने का आग्रह किया था। मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया था कि एमपीलैड दिशानिर्देशों का व्यापक संशोधन किया जाना है, जिसमें जिला प्राधिकारियों के लिए पूरे वित्तीय वर्ष के लिए आहरण सीमाएं तय की जाएंगी, जिससे योजना के अंतर्गत निधियों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके और धनराशि उनके खाते में रहें। एमओएसपीआई निधि जारी करने के दिशा-निर्देशों में व्यापक परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है, इसलिए समिति उस तंत्र से अवगत होना चाहेगी जिसमें देश भर के जिला प्राधिकारियों के लिए आहरण सीमाओं को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। समिति की उम्मीद है कि संशोधित दिशानिर्देश धन जारी करने की

प्रक्रियाओं को आसान बनाएंगे और इस प्रकार अधूरी परियोजनाओं को जल्द शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

टिप्पणी/सिफारिश (पैरा संख्या 5)

छोड़ दी गई परियोजनाओं/कार्यों को पूर्ण करना

12. 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट अपनी सिफारिश में समिति ने निम्नवत् कहा था:

"समिति ने पाया कि कई मौकों पर पूर्ववर्ती सांसद के कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित, स्वीकृत, अनुमोदित और शुरू की गई कुछ परियोजनाओं/कार्यों को छोड़ दिया गया था। कुछ मामलों में, उत्तरवर्ती सांसद के कार्यकाल के दौरान उन परियोजनाओं को न तो कार्यात्मक पाया गया और न ही उपयोग की स्थिति में पाया गया। समिति का मानना है कि यद्यपि उत्तरावर्त्ती सांसद ऐसी परियोजनाओं/कार्यों को पूरा करने की अनुशंसा करते हैं, लेकिन राज्य सरकारें अग्रेनीत परियोजनाओं/कार्यों को पूरा करने के लिए अनिच्छुक हैं। समिति इसे एक गंभीर खामी के रूप में देखती है और मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह ऐसी परियोजनाओं (जो निर्वाचित प्रतिनिधि के बदलने के कारण पिछड़ रही हैं। चूंकि किसी भी परियोजना/कार्य को बीच में छोड़ना धन की भारी बर्बादी होगा) की पहचान करने के लिए राज्य प्राधिकारियों/नोडल जिला प्राधिकारियों के साथ मामला उठाएं और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए कदम उठाएं। समिति सिफारिश करती है कि *अन्य बातों के साथ-साथ एमपीलैड योजना का मूल्यांकन करने* में मंत्रालय की भूमिका है और इसलिए प्रत्येक राज्य से ऐसी छोड़ दी गई परियोजनाओं के बारे में सूचना प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है कि स्वीकृत परियोजनाएं समय पर पूरी हो। समिति का यह भी मत है कि पूर्ववर्ती सांसद को आवंटित अप्रयुक्त निधि का उपयोग दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया में न्यूनतम विलंब के साथ ऐसी छोड़ दी गई परियोजनाओं/कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। समिति लोकसभा के पिछले तीन कार्यकालों के लिए ऐसी परियोजनाओं पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/सांसद-वार स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करना चाहेगी।"

13. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"<u>छोड़ दी गई परियोजनाओं की देखभाल के लिए एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों में प्रावधान</u>

''एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा- 3.13 में प्रावधान है कि स्वीकृति पत्र/आदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कार्य समापन की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। कार्य समापन के लिए समय-सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी विशेष मामले में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष की सीमा को पार कर जाता है, स्वीकृति पत्र / आदेश में उसके लिए विशेष कारण शामिल किए जाएंगे। स्वीकृति पत्र / आदेश में राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध उचित कार्रवाई की शर्त भी शामिल की जाएगी। संबंधित संसद सदस्य को स्वीकृति पत्र / आदेश की प्रति भेजी जाएगी।"

एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा-3.23 में कहा गया है कि जिला प्राधिकारी के कार्यालय में एमपीलैड्स निधियों से पूरे किए गए और जारी सभी कार्यों की सूची लगाई जानी चाहिए और आम जनता के सूचनार्थ वेबसाइट पर भी डाली जानी चाहिए। जनता की जानकारी के लिए पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा तहसील / निबत / उप-तहसील / ब्लॉक / ग्राम पंचायत कार्यालयों जैसे प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित किया जा सकता है।"

एक स्थायी सिद्धांत के रूप में जिला प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों को एक बार अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना है। यदि कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तो एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.3.1 को लागू किया जा सकता है जो निम्नानुसार निर्धारित करता है:

''यदि अभी भी योजना के तहत कोई छोड़ दिया गया/ निलंबित एमपीलैड कार्य मौजूद है, इसे राज्य सरकार द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार इस संबंध में उत्तरदायित्व भी निश्चित करेगी तथा चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। जिला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निधियों का उपयोग अवश्य ही इस प्रकार होना चाहिए जैसाकि पहले स्वीकृत किया गया था ताकि निधियों के आवंटन की पुनरावृत्ति न हो।''

यह उत्तरावर्त्ती संसद सदस्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसी छोड़ दी गई परियोजना/कार्य को पूरा करने के लिए अपने एमपीलैड्स फंड से राशि की सिफारिश करे। नए सदस्य की

एमपीलैड्स निधि से छोड़े गए कार्य के लिए जिला प्राधिकरण द्वारा राशि तभी स्वीकृत की जाएगी जब सदस्य अपने लेटरहेड पर औपचारिक रूप से ऐसा करने के लिए अपनी सहमति इंगित करता है।

एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यों को लगन से निष्पादित करने पर, कार्यों से प्राप्त अव्ययित धनराशि/बचत कार्यान्वयन एजेंसी से जिला प्राधिकरण को वापस कर दी जाती है।

<u>एमपीलैड्स के तहत किए गए कार्यों का मूल्यांकन</u>

मंत्रालय एमपीलैड योजना के तहत किए गए कार्यों का समय-समय पर इस मंत्रालय से स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन करवाता रहा है। पिछला ऐसा मूल्यांकन वर्ष 2021 में किया गया था जब इस मंत्रालय ने दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान चयनित 216 नोडल जिलों में एमपीलैड्स के तहत किए गए कार्यों की निगरानी/मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति की थी। मूल्यांकन के अंतिम निष्कर्ष/रिपोर्ट को आगे की उचित कार्रवाई के लिए जिला प्राधिकरणों और राज्य नोडल विभाग को भेज दिया गया है।

<u>परित्यक्त परियोजनाओं की स्थिति</u>

ऐसी परियोजनाओं पर लोकसभा के पिछले तीन कार्यकालों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एमपी वार स्थिति रिपोर्ट एकत्र/संकलित की जा रही है और इसे नियत समय में प्रस्तुत किया जाएगा।"

14. समिति ने यह नोट किया था कि पूर्ववर्ती संसद सदस्य के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए विकास कार्यों को ज्यादातर छोड़ दिया गया था, भले ही उत्तरवर्ती संसद सदस्य ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने की सिफारिश करेंगे; राज्य सरकारें ऐसी परियोजनाओं/कार्यों को आगे बढ़ाने में अनिच्छुक हैं। समिति ने मंत्रालय के की गई कार्रवाई उत्तर से नोट किया है कि बाध्यकारी सिद्धांत के रूप में, कार्य, जिसे एक बार जिला प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था, को अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि (पूर्ववर्ती संसद सदस्य के) परित्यक्त कार्य को पूरा कराना उत्तरवर्ती संसद सदस्य की एकमात्र इच्छा पर निर्भर करता है। चूंकि समिति ने अधिकांश सांसदों के जमीनी अनुभव के आधार पर यह सुझाव दिया था, इसलिए,

अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराते हुए, समिति चाहती है कि मंत्रालय विकासात्मक प्रकृति के उन कार्यों की पहचान करे जो न केवल निधियों की कमी के कारण बल्कि जिला प्राधिकारियों के समुचित ध्यान की कमी के कारण भी अधूरे हैं। समिति ने मंत्रालय से इस मामले को राज्य प्राधिकारियों के समक्ष उठाने और एमपीलैड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उन्हें अनुदेश जारी करने का पुन: आग्रह किया है ताकि विकास कार्य न तो रुके रहें और न ही गैर-कार्यात्मक बने रहें। समिति की इच्छा के अनुसार लोक सभा के पिछले तीन कार्यकालों की परित्यक्त परियोजनाओं पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संसद सदस्य-वार स्थिति रिपोर्ट तैयार करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर उन्हें प्रस्तुत की जानी चाहिए।

टिप्पणियाँ/सिफारिशें (पैरा संख्या 9)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शत-प्रतिशत प्रभार सेंटेज चार्ज

15. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने निम्नानुसार कहा था:

"समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने एमपीलैड योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं/कार्यों को शुरू करने के लिए एनबीसीसी लिमिटेड जैसे कई सार्वजनिक उपक्रमों को अधिकृत किया है जबकि राज्य स्तर पर इसे राज्य निगमों द्वारा पूरा किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य निगम दोनों एमपीलैड योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण कार्य के कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षी, वास्तुकला और अन्य संस्थागत सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, समिति नोट करती है कि मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वसूल किए जाने वाले शत-प्रतिशत प्रभार की अनुमति नहीं दी गई है। यह सामान्यतया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आधिकारिक रूप से वसूल किए जाने वाले शत-प्रतिशत प्रभार के संदर्भ में जिला स्तर पर विवाद का कारण बनता है। समिति का मत है कि चूंकि ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केंद्रीय बजट से पैसा नहीं लेते हैं, मंत्रालय को एमपीलैड्स के तहत परियोजनाओं/कार्यों के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों दोनों के लिए स्वीकृत अधिकतम प्रतिशत सीमा सहित दिशानिर्देशों में उचित संशोधन करना चाहिए।"

16. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, निम्नवत बताया:

"एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा- 4.17.1 में नियत है:-

"सेंटेज प्रभार, आदिः प्रशासनिक व्ययों, जैसा कि पैरा 4.17 में प्रावधान किया गया है, को शामिल न करते हुए नोडल विभाग, जिला प्राधिकारी अथवा कार्यान्वयन एजेंसी एमपीलैड्स के तहत प्रारंभिक कार्यों सहित कार्यों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में किसी व्यय जैसे, पर्यवेक्षण प्रभार, सेंटेज प्रभार, कार्मिकों का वेतन, यात्रा व्यय आदि की मांग नहीं करेगा।"

"एमपीलैड्स के तहत परियोजनाओं/कार्यों के लिए सीपीएसयू और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शत-प्रतिशत प्रभार की अनुमति देने के सुझाव की जांच की गई है और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में शामिल करने के लिए इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है।"

17. समिति ने पाया था कि एमपीलैड के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेंटेज प्रभार की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे अक्सर जिला स्तर पर विवाद होते हैं, जिससे परियोजना के पूरा होने में देरी होती है या यहां तक कि परियोजना को छोड़ दिया जाता है। समिति का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेंटेज प्रभार लगाना उचित है क्योंकि कई सार्वजनिक उपक्रमों को केंद्रीय बजट के तहत धनराशि नहीं मिलती है। मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में कहा है कि प्रशासनिक व्यय (जैसा कि एमपीलैड दिशानिर्देशों के पैरा 4.17 में प्रावधान किया गया है) को छोड़कर नोडल विभाग, जिला प्राधिकरण या कार्यान्वयन एजेंसी विकास कार्यों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में कोई व्यय नहीं करेगा। प्रशासनिक प्रभारों के संबंध में मौजूदा प्रावधानों को नोट करते हुए समिति ने मंत्रालय से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया क्योंकि यह एमपीलैड के दिशा-निर्देशों को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया में है। समिति ने मंत्रालय से आग्रह किया कि वह विकास कार्यों की लागत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेंटेज प्रभार की अनुमति दे, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दक्षता और विशेषज्ञता का समय सीमा के भीतर स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूरा उपयोग किया जा सके।

टिप्पणियां/सिफ़ारिशें (पैरा सं.11)

प्रशासनिक व्यय की लेखा परीक्षा की आवश्यकता

18. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने कहा था कि:

"एमपीलैड दिशा-निर्देशों के अंतर्गत 2% प्रशासनिक व्यय का प्रावधान है जो जिला कलेक्टर कार्यालय में सुविधा केंद्र के लिए काटा जाता है।माननीय सदस्य के संबंध में जारी की गई प्रत्येक किस्त से 2% प्रशासनिक व्यय, दिए गए अनुपात में नोडल प्राधिकरण, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण और राज्य नोडल विभाग द्वारा साझा किया जाता है।समिति ने अवलोकन किया है कि एक बार नोडल जिले द्वारा वितरित किए गए प्रशासनिक व्यय को व्यय के रूप में माना जाएगा, उन खर्चों के लिए अलग से उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। सुविधा केंद्र की लागत सांसदों को आवंटित एमपीलैड्स निधि से काटे गए 2% प्रशासनिक खर्चों में से वहन की जाती है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति का दृढ़ मत है कि मंत्रालय को इन खर्चों के उचित उपयोग पर सख्ती से निगरानी और जांच करनी चाहिए । मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संबंध में किसी भी तरह के दुरुपयोग के अपराधी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए । समिति पुरज़ोर रूप से महसूस करती है कि यह 2% प्रशासनिक व्यय अनिवार्य रूप से सार्वजनिक धन है और इसके उचित उपयोग का पता लगाने के लिए एक अनिवार्य लेखा परीक्षा होनी चाहिए। समिति मंत्रालय से इस संबंध में जिला अधिकारियों के परामर्श से दिशानिर्देश तैयार करने का आग्रह करेगी ताकि उन्हें अगले वित्तीय वर्ष से अधिसूचित किया जा सके। इस संबंध में उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराया जाए''।

19. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"सुझाव को नोट कर लिया गया है और हितधारकों के परामर्श से इनकी जांच की जा रही है ताकि यह देखा जा सके कि क्या एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में इन्हें शामिल करना व्यवहार्य है।"

20. समिति नोट करती है कि एक बार बांटे गए प्रशासनिक खर्च को खर्च हुआ माना जाता है और इसके उपयोग की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए समिति ने 2% प्रशासनिक व्यय के ऑडिट की सिफारिश की थी। मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में संकेत दिया था कि प्रशासनिक व्यय की लेखापरीक्षा के मुद्दे की व्यवहार्यता के लिए हितधारकों के

परामर्श से जांच की जाएगी। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि मंत्रालय प्रशासनिक व्यय की लेखापरीक्षा की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए सहमत हो गया है और समिति चाहती है कि इस संबंध में हुई प्रगति/उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

टिप्पणियां/सिफ़ारिशें (पैरा सं.17)

समयबद्ध कार्रवाई

21. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने कहा था कि:

"समिति ने पाया कि एमपीलैड दिशानिर्देशों के पैरा 3.13 में चूककर्ता कार्यान्वयन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वीकृति पत्र में आवश्यक रूप से कार्य पूरा करने की समय सीमा का उल्लेख होना चाहिए जो आम तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समिति नोट करती है कि सरकारी प्रक्रिया के अनुसार कार्य को पूरा करने में विफलता की स्थिति में स्वीकृति पत्र में कार्यान्वयन एजेंसी के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई के लिए एक खंड शामिल होना चाहिए। समिति को यह जानकर खुशी हुई कि एमपीलैड दिशानिर्देशों की परिकल्पना परिणाम प्राप्त करने के लिए की गई है, लेकिन मंत्रालय के पास दिशानिर्देशों के तहत प्रावधानों को क्रियान्वित करने का दायित्व है। वे मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि स्वीकृत विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ ठोस प्रयास करें । इसलिए, समिति उन मामलों से अवगत होना चाहेगी जहां जिला प्राधिकरण से प्राप्त असंतोषजनक प्रतिक्रिया पर चूककर्ता एजेंसियों के खिलाफ 'उपयुक्त' कार्रवाई की गई थी।"

22. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा-3.13 में नियत है कि "स्वीकृति पत्र/आदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कार्य समापन की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी । कार्य समापन के लिए समय-सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि किसी विशेष मामले में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष की सीमा को पार कर जाता है, स्वीकृति पत्र/आदेश में उसके लिए विशेष कारण शामिल किए जाएंगे । स्वीकृति पत्र/आदेश में राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल

रहने पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध उचित कार्रवाई की शर्त भी शामिल की जाएगी । संबंधित संसद सदस्य को स्वीकृति पत्र/आदेश की प्रति भेजी जाएगी ।"

साथ ही, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा-3.14 में नियत है कि " योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तर के अधिकारियों के पास होता है । इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जिले के प्राधिकारियों को पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए ।जिला प्राधिकारियों को अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व सक्षम जिला अधिकारियों से कार्यों को तकनीकी रूप से अनुमोदित करवाने और वित्तीय प्राक्कलन तैयार करवाने का पूर्ण अधिकार होगा । कार्य स्वीकृत करने से पूर्व जिला प्राधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारियों से सभी अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं और कार्य दिशानिर्देशों के अनुरूप है।"

एक संघीय ढांचे में, जिला प्राधिकारियों के कामकाज पर प्रत्यक्ष अधीक्षण के लिए किसी तंत्र की कल्पना करना संभव नहीं हो सकता है, हालांकि, मंत्रालय ऐसे मामलों पर विचार करता है जो इसके संज्ञान में लाए जाते हैं, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसी सरकारी प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने में विफल रही हो। ऐसे मामलों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ उठाया जाता है जिससे मंत्रालय एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन को दोहराने के अलावा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने पर जोर देता है।"

23. यह उल्लेख करते हुए कि एमपीलैड दिशानिर्देशों के पैरा 3.13 में चूककर्ता कार्यान्वयन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, समिति ने मंत्रालय से ठोस प्रयास करने का आग्रह किया था ताकि विकास कार्यों में और समय न लगे। समिति ने मंत्रालय से बाकी मामलों से भी उन्हें अवगत कराने को कहा था, जहां चूककर्ता एजेंसियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में कहा है कि वे विलंबित मामलों का संज्ञान लेते हैं और जब भी उन्हें उनके संज्ञान में लाया जाता है तब मामलों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के समक्ष उठाया जाता है। समिति महसूस करती है कि नोडल मंत्रालय होने के नाते, उन्हें एक तंत्र/पोर्टल तैयार करना चाहिए जहां एमपीलैड निधियों के तहत कार्यों/परियोजनाओं से संबंधित आंकड़ों को नियमित रूप से रखा जाए और निगरानी की जाए। समिति चाहती है कि

मंत्रालय राज्य प्राधिकरणों/कार्यान्वयन एजेंसी को शामिल करे और प्रौद्योगिकी को इस तरह से एकीकृत करे कि विकासात्मक कार्यों से संबंधित डेटा का रखरखाव, समीक्षा और प्रभावी तरीके से निगरानी की जा सके। समिति महसूस करती है कि किसी एकीकृत पोर्टल में किसी भी प्रकार की देरी को उजागर करने से मंत्रालय समय पर उचित कार्रवाई करने में सक्षम होगा। समिति चाहती है कि इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

टिप्पणियां/सिफ़ारिशें (पैरा सं.18)

अधीनस्थ इकाई/कार्यालय का निर्माण

24. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने कहा था कि:

"समिति का मानना है कि जिला स्तर पर निगरानी समितियों की अवधारणा को समय पर धन जारी करने, विकास कार्यों को पूरा करने आदि पर नजर रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन प्रत्येक राज्य/जिले में एमओएसपीआई द्वारा कार्यों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण नहीं है। एमपीलैड्स, एक केंद्रीय योजना होने के कारण, धन जारी करने, निगरानी, लेखा रखने और मूल्यांकन में अपनी भूमिका के लिए एमओएसपीआई के दायरे में आता है, इसलिए समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि एमओएसपीआई को एक समर्पित निगरानी इकाई स्थापित करनी चाहिए ताकि एमपीलैड्स के तहत स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति पर सीधी नज़र रखी जा सके। एक बार वास्तविक समय डेटा के साथ एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित हो जाने के बाद, इस समर्पित इकाई के लिए प्रत्येक संकेतक की प्रगति की निगरानी करना आसान होगा और योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता और गति प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में, मंत्रालय धन जारी करने, स्वीकृति पत्र आदि के संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए निगरानी समितियों की रिपोर्ट (तिमाही) की प्रतीक्षा करता है और उन पर निर्भर करता है। समिति का दृढ़ मत है कि एक इकाई होने से निश्चित रूप से राज्य स्तर पर किसी भी समस्या की पहचान होगी और एमपीलैड्स परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित और कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ और बेहतर समन्वय होगा, क्योंकि एमपीलैड्स को क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है।"

25. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"एमपीलैड योजना में अच्छी तरह से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ केंद्र, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, जिला स्तर पर एक बहुत सशक्त निगरानी तंत्र है: -

क. केंद्रीय स्तर पर: मंत्रालय एमपीलैड योजना (एमपीलैड दिशानिर्देशों के पैरा 6.2) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र में भी बैठकें करता है।

ख. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर: मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जिला प्राधिकारियों और संसद सदस्यों के साथ एक वर्ष में एक बार एमपीलैड्स कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया । ऐसी बैठकों में, नोडल विभागों के सचिव और अन्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को भी भाग लेना चाहिए (एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 6.3)।

ग. जिला स्तर पर: जिला प्राधिकारी कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ, प्रत्येक माह तथा किसी भी हालत में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार एमपीलैड्स संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा । जिला प्राधिकारी संबंधित संसद सदस्य को समीक्षा बैठकों के लिए आमंत्रित करेगा तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को ऐसी समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट भेजेगा (एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 6.4)।"

26. समिति ने पाया था कि प्रत्येक राज्य/जिले में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यों का कोई प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है और इस प्रकार प्रत्येक राज्य में एक समर्पित निगरानी इकाई की स्थापना की सिफारिश की थी ताकि एमपीलैड्स के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति पर प्रत्यक्ष रूप से नजर रखी जा सके। मंत्रालय अपने की गई कार्रवाई उत्तर में किसी निगरानी इकाई की स्थापना के बारे में मौन है, बल्कि उन्होंने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बैठकों के प्रोटोकॉल को और अधिक बढ़ा दिया है। समिति बैठकों के प्रोटोकॉल से अवगत है, हालांकि इन प्रोटोकॉल को आमतौर पर जिला और राज्य प्राधिकरणों द्वारा पालन नहीं किया जाता है। इसलिए, अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराते हुए समिति ने मंत्रालय से इस प्रकार कदम उठाने और दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का आग्रह किया है जिससे देश के प्रत्येक राज्य में एक निगरानी इकाई/तंत्र हो ताकि संसद सदस्य

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा सके। तकनीकी समाधान / पोर्टल / आईटी अनुप्रयोगों के साथ, इस तरह की निगरानी अब एक बोझिल काम नहीं है। इसलिए, वे उम्मीद करते हैं कि मंत्रालय, एमपीलैड निधियों के तहत विकास कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु नोडल होने के नाते, 'निगरानी इकाई' की स्थापना के प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करे और इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों से समिति को अवगत कराए।

अध्याय दो

टिप्पणियां / सिफारिशें, जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया है

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 1)

रिपोर्ट में समिति द्वारा की गई टिप्पणियां/ सिफारिशों के लिए परिचयात्मक ।

परिचयात्मक हिस्सा होने के कारण, कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 2)

<u>एमपीलैड्स निधियों की निर्मुक्ति</u>

समिति नोट करती है कि आम चुनाव के बाद लोकसभा के गठन के समय और राज्यसभा सदस्य के चुनाव के बाद, बिना किसी दस्तावेज के नोडल जिला प्राधिकारी को 2.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की जाती है।तथापि , शेष वर्षों में, बाद के वर्षों में पहली किस्त जारी करने का एक मानदंड पिछले वर्ष की पहली किस्त के व्यय के कम से कम 80% को शामिल करते हुए विगत वर्ष का अनंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है । समिति लगभग एक वर्ष के अंतराल में निधियों का 80% उपयोग प्रस्तुत करने की इस शर्त को एक बाधा के रूप में देखती है जब प्रत्येक राज्य में क्षेत्र-वार स्थितियाँ और परिस्थितियाँ एक दूसरे से बहुत भिन्न होती हैं। समिति ने पाया कि एक वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का मानदंड बोझिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है क्योंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने और प्रस्तुत करने में विभिन्न प्राधिकारी , कागजी कार्य और कई औपचारिकताएं शामिल हैं। इससे निरपवाद रूप से निधियां जारी करने में विलंब होता है और संबंधित एजेंसियों/ठेकेदारों को भुगतान करने में भी देरी होती है जिसके परिणामस्वरूप चालू परियोजनाएं रुक जाती हैं और लागत बढ़ जाती है।

अतएव समिति मंत्रालय से ,उपरोक्त मानदंडों की समीक्षा करने और दिशानिर्देशों में उचित संशोधन लाने का आग्रह करती है ताकि निधि जारी करने की प्रक्रिया को सरल और तेज किया जा सके। समिति अनुशंसा करती है कि एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्ताव की प्रक्रिया ,उसके अनुमान , बिलों को ,निविदापारित करने और ठेकेदारों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए जो एमपीलैड योजना के तहत परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन में सहायता करेगा।

सरकार का उत्तर

एमपीलैड्स के अंतर्गत निधियां जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण -

निधियां जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त को जीएफआर के प्रावधानों के अनुरूप एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है। तथापि, मंत्रालय एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के व्यापक संशोधन और वित्त मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 9-3-2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा शुरू की गई संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, जिसमें मंत्रालय एक प्रणाली स्थापित करने का विचार रखता है जिसके तहत जिला प्राधिकारियों को मंत्रालय द्वारा वास्तविक निधियां जारी किए जाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उन्हें पूरे वित्तीय वर्ष के लिए आहरण सीमाएं आवंटित की जाएंगी और वास्तविक निधियां वास्तविक समय के आधार पर सीधे विक्रेताओं के पास प्रवाहित होंगी। इसलिए, इस योजना के तहत निधियों की अधिक कुशल तरीके से निर्मुक्ति , उपयोग और निगरानी किए जाने की आशा है।

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा 3.3 के अनुसार, जिला प्राधिकारी ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करेगा जो पात्र कार्यों का कार्यान्वयन गुणवत्तापूर्वक, समय परऔर संतोषजनक रूप से करने में सक्षम हो। जिला प्राधिकारी कार्यनिष्पादन के मामले में संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की तकनीकी, कार्य आकलन, निविदा और प्रशासनिक प्रक्रिया और ऐसे कार्यों के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। एमपीलैड्स के तहत परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान पहले से मौजूद हैं:-

सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्, सभी अनुशंसित पात्र कार्य अनुशंसा कीप्राप्ति की तिथि से 75 दिनों के भीतर स्वीकृत किए जाने चाहिए । तथापि, जिलाप्राधिकारी अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अस्वीकृति, यदि कोईहै, के संबंध में उनके कारणों सहित संसद सदस्यों को सूचित करेगा । यदि इस खंड में उल्लिखित समय सीमाएं निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित आदर्शआचार संहिता के प्रचालन की अवधि के भीतर आती हैं, तो यह अवधि जो आदर्श आचारसंहिता द्वारा अधिसूचित की गई है, समय-सीमाओं की गणना में शामिल नहीं कीजाएगी ।

स्वीकृति पत्र/आदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कार्य समापन की समय-सीमा निर्धारितकी जाएगी । कार्य समापन के लिए समय-सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहींहोनी चाहिए । यदि किसी विशेष मामले में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष की सीमा कोपार कर जाता है, स्वीकृति पत्र/आदेश में उसके लिए विशेष कारण शामिल किए जाएंगे ।स्वीकृति पत्र/आदेश में राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्णकरने में असफल रहने पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध उचित

कार्रवाई की शर्त भीशामिल की जाएगी । संबंधित संसद सदस्य को स्वीकृति पत्र/आदेश की प्रति भेजी जाएगी ।

योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियों केसंबंध में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तर के अधिकारियों के पास होता है । इसयोजना के अंतर्गत कार्यों के शीघ्र कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए, राज्य/संघराज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा जिले के अधिकारियों को पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए ।जिला प्राधिकारियों को अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान करने से पूर्वसक्षम जिला अधिकारियों से कार्यों को तकनीकी रूप से अनुमोदित करवाने और वित्तीयप्राक्कलन तैयार करवाने का पूर्ण अधिकार होगा । कार्य स्वीकृत करने से पूर्व जिलाप्राधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारियों से सभीअनापत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं और कार्य दिशानिर्देशों के अनुरूप है ।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 3)

<u>एमपीलैड्स निधि का निलंबन</u>

समिति नोट करती है कि सांसदों को अपनेट्रस्टों /सोसाइटियों/अपने निर्वाचन क्षेत्रों से आम जनता- परिसंपत्तियों का सृजन /विभिन्न विकासात्मक कार्यों को करने से लगातार लोगों के कल्याण के लिए 19- करनेहेतु कई अनुरोध प्राप्त होते हैं। वैश्विक महामारी कोविडके दौरान दो वर्षों 21-2020 अर्थात, के लिएनिलंबितकी गई 22-2021 और**एमपीलैड्स**निधियों के साथ सांसद किसी भी नई परियोजना की , ट्रस्टों के इन अनुरोधों पर विचार /सोसाइटियों/में सक्षम नहीं हैं और इस प्रकार आम जनता संस्तुति करने नहीं किया गया है। समिति दृढ़ता से चाहती है कि चूंकि देश में वैश्विक महामारी कोविड 19-की स्थिति में सुधार हुआ है5 ,वर्तमान सांसदों के लिए ,वें वर्ष की **एमपीलैड्स**निधि को चौथे वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से जारी किया जा सकता है संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए सांसदों /संस्तुत,ताकि उपरोक्त अनुरोधों पर , को सक्षम बनाया जा सके ।

समिति यह भी संस्तुति करती है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किस्तों की छमाही जारी करने की एक निश्चित समयनी चाहिए । समिति को आशा है कि किसी विशेष वर्ष की दूसरी किस्त शीघ्र सीमा हो- ठेकेदारों को समय पर प्रेषण सुनिश्चि/जारी करने से संबंधित कंपनीत होगा ताकि परियोजनाओं को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।

चूंकि वित्तीय वर्ष 21 - 2020और वित्तीय वर्ष 22 - 2021के लिए **एमपीलैड्स**का संचालन न करने का निर्णय लिया गया था दो इन सहित किस्तों अनिर्मुक्त पहले इससे या को 31.03.2020 इसलिए दिनांक, दौरान के वर्षों**एमपीलैड्स**के अंतर्गत किस्तें जारी नहीं की गई थीं । कोविड 19-से उपजे स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए वित्त वर्ष हेतु 21-2020**एमपीलैड्स**के लिए वार्षिक बजटीय परिव्यय

को व्यय विभाग,वित्त मंत्रालय के निपटान पर रखा गया था । तथापि,मामले की जांच के दौरानसमिति ने , की किस्तें भी जारी नहीं की गईं। समिति नोट 20-2019 पाया कि अधिकांश सांसदों के लिए वित्तीय वर्ष परंतु ,अनुमोदित परियोजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं या पूर्ण होने के चरण में हैं/करती है कि कुछ स्वीकृत ऐसी प , पिछली किस्तों को जारी न करने के कारणरियोजनाओं ,कार्यों के लिए भुगतान अभी भी लंबित हैं/ ,णामस्वरूप दुर्भाग्य से परियोजनाओं को बीच में ही छोड़ दिया गया। इससे निपटने के लिएजिसके परि समिति अब सरकार से एमपीलैड योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने हेतु पिछले वर्षों की लंबित किस्तों को जारी करने के लिए उचित व्यवस्था करने और लोगों को एमपीलैड्स के तहत पूर्व में पूर्ण परित्यक्त परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करने में सहायता करने का आह्वान करती है। /

<u>सरकार का उत्तर</u>

<u>5वें वर्ष की एमपीलैड्स निधि को चौथे वर्ष में अग्रिम रूप से जारी करना</u>

5वें वर्ष की एमपीलैड्स निधि को चौथे वर्ष में अग्रिम रूप से जारी करना संभव नहीं है क्योंकि यह जीएफआर के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। तथापि, मंत्रालय एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के व्यापक संशोधन और वित्त मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 9-3-2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा शुरू की गई संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, जिसमें मंत्रालय द्वारा एक प्रणाली स्थापित करने का विचार है जिसके तहत जिला प्राधिकारियों को मंत्रालय द्वारा वास्तविक निधियां जारी किए जाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उन्हें पूरे वित्तीय वर्ष के लिए आहरण सीमाएं आवंटित की जाएंगी और वास्तविक निधियां वास्तविक समय के आधार पर सीधे विक्रेताओं के पास प्रवाहित होंगी। इसलिए, इस योजना के तहत निधियों की अधिक कुशल तरीके से निर्मुक्ति , उपयोग और निगरानी किए जाने की आशा है।

<u>विगत वर्षों की किस्तों की निर्मुक्ति</u>

एमपीलैड्स के तहत निधियां जारी करना पूर्ण रूप से निधि से संबंधित मानदंडों की पूर्ति और निधि से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने तथा उन दस्तावेजों को जांच के क्रम में पाए जाने के साथ-साथ अव्ययित और अस्वीकृत शेष के मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन है। जिला प्राधिकारियों द्वारा निधि से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों जैसे उपयोगिता प्रमाणपत्र, अनंतिम उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब होने से लंबित किस्तों की निर्मुक्ति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है ।

मंत्रालय निधि से संबंधित मानदंड पूरे होते ही एमपीलैड्स के तहत लंबित किस्तों को यथाशीघ्र जारी कर रहा है और निधि से संबंधित दस्तावेज, जैसा कि एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में प्रावधान है, जिला प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 722.50 करोड़ रुपये की 289 किस्तें और वित्त वर्ष 2019-20 से पहले की अवधि से संबंधित 265 करोड़ रुपये की 106 किस्तों सहित 1729.5 करोड़ रुपये की 766 किस्तें जारी की गईं हैं । इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2022-23 (31.08.2022 तक) के दौरान, 836.5 करोड़ रुपये की 367 किस्तें जारी की गई हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2019-

20 के लिए 75 करोड़ रुपये की 30 किस्तें और वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहले की अवधि से संबंधित277.5 करोड़ रुपये की 111 किस्तें शामिल हैं।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 4)

<u>निधि संबंधित दस्तावेजों का विलंबपूर्वक प्रस्तुतिकरण</u>

एमपीलैड्स के तहत निधियां जारी करना दिशानिर्देशों में उल्लिखित निधि से संबंधित मानदंडों की पूर्ति - और निधि से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और उन दस्तावेजों को जांच के क्रम में पाए जाने के साथ अव्ययित और अस्-साथवीकृत शेष राशि के मानदंडों को पूरा करने के अधीन है। जिला प्राधिकारियों द्वारा निधि से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों जैसे उपयोगिता प्रमाण पत्रअनंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र और , लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब से लंबित किस्तों के जारी होने परव्यापक प्रभाव पड़ता है ।

समिति नेमामले देखे जिनमें संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा मंत्रालय जांच के दौरान कुछ ऐसे , को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बावजूद निधियां जारी नहीं की गई थीं। समिति ने यह भी पाया कि जिला नोडल अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी के कारण किस्तों के जारी होने में देरी हुई। इस पर संज्ञान लेते हुएसमिति चाहती है कि मंत्रालय प्रलेखन के इस पहलू पर फिर से , विचार करे ताकि निधियों को जारी करने में विलंब के मुद्दे को कम किया जा सके। समिति का मत है कि समय पर धनराशि जारी करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि भुगतान लंबित है तो कार्यान्वयन एजेंसियांठेकेदार काम बंद कर देंगे। समिति दोहराती है कि विकासात्मक प्रकृति का कोई भी कार्य बेकार/ नहीं रहना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

एमपीलैड्स के तहत निधियां जारी करना न केवल दिशा-निर्देशों में उल्लिखित निधि-संबंधित मानदंडों को पूरा करने और जिला अधिकारियों द्वारा निधि से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, बल्कि ऐसे दस्तावेजों को जांच के साथ-साथ अव्ययित और अस्वीकृत शेषमानदंडों की पूर्ति के क्रम में पाए जाने के अध्यधीन भी है । निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं जब संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी मंत्रालय द्वारा निधियां जारी नहीं की जा सकती हैं :-

- मंत्रालय द्वारा जांच किए जाने पर अपेक्षित दस्तावेज सही नहीं पाए गए। उदाहरण के लिए, जिला प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में न हों ; प्रदान किए गए दस्तावेजों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों या दस्तावेजों पर स्याही से हस्ताक्षर न किए गए हों; मासिक प्रगति रिपोर्ट में दिखाई गई अव्ययित शेष राशि और बैंक विवरण में दर्शाई गई राशि में भारी अंतर हो; प्रदान किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र में त्रुटी हो (उदाहरण के लिए पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण से मेल न खाती हो , उपयोगिता प्रमाण

पत्र में उल्लिखित जिला प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किस्त मंत्रालय द्वारा वास्तविक निर्मुक्ति से मेल न खाती हो); लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां शामिल हो सकती हैं।

- जिला प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई मासिक प्रगति रिपोर्ट अपात्र हो सकती है, अर्थात, हो सकता है कि अव्ययित शेष और/या अस्वीकृत शेष के मानदंडों को पूरा न कररही हो ।

मंत्रालय ऐसे मामलों को संबंधित जिला प्राधिकारियों के साथ आगे बढ़ाने में तत्पर रहा है ताकि अपेक्षित दस्तावेजों में विधिवत सुधार करके , यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जा सके और माननीय सांसदों को शीघ्रता से निधियां जारी की जा सकें।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 6)

<u>समयबद्ध निपटान</u>

एमपीलैड योजना के तहत पूर्ववर्ती सांसद की धनराशि का उत्तराधिकारी सांसद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। समिति को सूचित किया जाता है कि पूर्ववर्ती सदस्यों की 1723 ₹ करोड़ की अव्ययित निधि का उचित उपयोग पूर्ववर्ती सदस्यों के सभीउपयुक्त कार्यों के पूरा होने और पूर्ववर्ती सदस्यों के सभी बैंक खातों को बंद किये जाने एवं पूर्ववर्ती सदस्यों की शेष निधियों का उत्तरवर्ती सदस्यों के बैंक खातों में अंतरण किये जाने पर ही किया जाता है । समिति नोट करती है किशेष" ,"को बंद करने वितरण और खातों/ अप्रतिबद्ध निधियोंके अंतरणकी यह पूरी प्रक्रिया एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और 1723₹करोड़ का मामला ऐसा ही है ।समिति उम्मीद करती है कि मंत्रालय उपयोग में नहीं आ रहीइतनी बड़ी राशि से संबंधित समस्याओं की पहचान करेगा। वे मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं कि एमपीलैड्स से जुड़े पूर्ववर्ती सांसद का बचत बैंक खाता बंद कर दिया गया हो और उत्तराधिकारी सांसद के एमपीलैड खाते में फंड एमपीलैड दिशानिर्देशों के अनुसार समयबद्ध तरीके से अंतरित किया गया हों और समिति को इस , संबंध में प्रगति से अवगत कराया जाए ।

सरकार का उत्तर

उत्तरवर्ती सदस्यों द्वारा पूर्ववर्ती सदस्यों की निधि का उपयोग एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा-4.7 से 4.10 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केवल पूर्ववर्ती सदस्यों के सभी पात्र कार्यों के पूरा होने और पूर्ववर्ती सदस्यों के बैंक खातों को बंद करने और पूर्ववर्ती सदस्यों की शेष राशि को उत्तरवर्ती सदस्यों के (पदेन) बैंक खाते में स्थानांतरित करने पर ही किया जा सकता है ।

एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा- 4.10.1 में प्रावधान है कि कार्यों को संपन्न करना खातों को समायोजित / कार्य राज्य सभा सांसदों के मामले में कार्यालय छोड़ने की तारीख से अथवा लोक एमपीलैड्स का -करना सभा के विघटन की तिथि से 18 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। जिला प्राधिकारी अन्य सभी

औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् अगले तीन माह की अवधि में संबंधित सांसद के खाते को समायोजित करेंगे और उसे बंद कर देंगे तथा इसकी सूचना भारत सरकार को देंगे और मासिक प्रगति रिपोर्ट में (एमपीआर)इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। यदि जिला प्राधिकारी सांसद द्वारा कार्यभार त्यागने अथवा लोक सभा भंग होने की तारीख से 18 माह के भीतर परियोजनाओं को पूरा नहीं करता है, तो जिला प्राधिकारी से शेष कार्य को राज्य जिले की निधि से पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी। किसी भ /ी स्थिति में, समय सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा और इस संबंध में हुई किसी भी प्रकार की चूक के लिए जिला प्राधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

मंत्रालय पूर्ववर्ती सदस्यों के बैंक खातों को जल्दी बन्द करने पूर्ववर्ती सदस्यों की शेष निधियों का उत्तरवर्ती सदस्यों प)देनके बैंक खातों हस्तांतरण करने के लिए जिला प्राधिकारियों का नियमित रूप से अनुसरण (14संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक /कर रहा है और राज्यों -05-2020, 16-07-2020, 31-08-2020, 01-01-2021, 23-04-2021 और 07-12-2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या सी-38/2015एमपीलैड्स- के माध्यम से जारी अनुदेशों की प्रतियां सन्दर्भ के लिए संलग्न हैं।

इसके अतिरिक्तमंत्रालय एमपीलैड्स दिशा निर्देशों में व्यापक , संशोधन और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया का 2022-03-09 कार्यान्वयन कर रहा है। जिसमें मंत्रालय एक तंत्र स्थापित करना चाहता है जिसके अन्तर्गत जिला प्राधिकारियों को संपूर्ण वित्तिय वर्ष के लिए ड्राइंग सीमा आवंटित की जाएगी और वर्तमान निधि वास्तविक समय आधार पर सीधे विक्रताओं के पास चली जाएगी।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 7)

<u>शैक्षिक समितियोंन्यासों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश/</u>

समिति नोट करती है कि एमपीलैड योजना के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार एमपीलैड्स निधियों से चलने वाले सभी ट्रस्टसोसाइटी/ की संपूर्ण अवधि के लिए 50₹लाख की सीमा है । समिति ने पाया है कि कुछ ट्रस्टसोसाइटियां लंबे समय से सामुदायिक सेवा में लगी हुई हैं और इसलिए कई संस्थानों का / संचालन करती हैं। उदाहरण क े लिए 100 कुछ ऐसी समितियाँ हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में लगभग , सांसद इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों ,लेकिन दिशानिर्देशों में मौजूदा प्रावधानों के कारण ,स्कूल हैं / इकाइयाँ दी बुनिया/के लिए निधियों की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। समिति इस प्रावधान को देश में शिक्षा प्रणाली 50₹ उनका मत है कि मंत्रालय को ,ढांचे के विकास के लिए एक बाधा के रूप में देखती है। इसलिएलाख की सीमा बढ़ानी चाहिएस्वीकृति दे सकें। /ताकि सांसद इस उद्देश्य के लिए बड़ी राशि की सिफारिश , समिति यह भी सिफारिश करती है कि देश में अधिक से अधिक स्कूलों की सहायता करने और देश में शिक्षा प्रणाली के बेहतर भविष्य के लिएएमपीलैड योजना के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए और ,

एमपीलैड योजना दिशानिर्देशों को इस तरह से संशोधित किया जाना चाहिए कि सांसद देश में सरकारी बेहतरी के लिए नि / सहायता प्राप्त स्कूलों के विकासधियों की सिफारिश स्वीकृति दे सके।/

सरकार का उत्तर

समिति की सलाह/सिफारिश नोट कर ली गई है और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में समावेशन के लिए - उनकी सुसाध्यता को देखने के लिए हितधारकों की परामर्श से उनकी जांच की जाएगी ।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 8)

<u>अन्य संस्थानों से अनुरोध</u>

जांच के दौरान, समिति ने पाया है कि विभिन्न अवसरों पर, सांसद ऐसी संस्थाएं जो मौजूदा दिशानिर्देशों में शामिल नहीं हैं से , विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु एमपीलैड फंड की मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त करते हैं । ऐसे मामलों में, सांसद उनकी सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं, भले ही संस्थान/संगठन इस योग्य लगते हों। उदाहरण के लिए, समिति कुछ एम्बुलेंस प्रदाताओं से अवगत है जहां वाहनों का स्वामित्व जिला परिषदों /निगमों के पास है, फिर भी उनके रखरखाव के पहलुओं को एक गैर-लाभकारी संगठन/एनजीओ द्वारा बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जाता है। चूंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक/संस्थानों/समाजों की ऐसी शिकायतों/व्यावहारिक कठिनाइयों को देखें, इसलिए समिति का मानना है कि एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए ताकि सांसद एमपीलैड्स योजना के तहत ऐसी परियोजनाओं/कार्यों की सिफारिश कर सकें या गैर-लाभकारी संगठनों एनजीओ की भी/ मदद कर सकें। कुल मिलाकर, समिति ने सिफारिश की है कि एमपीलैड योजना के दायरे को व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि सांसद अधिक से अधिक संस्थानों की सहायता कर सकें/विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश कर सकें जिससे देश में बेहतर शिक्षा प्रणाली/बुनियादी ढांचे के लिए टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति का निर्माण सुनिश्चित हो सके।

सरकार का उत्तर

माननीय सांसदों को विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में नये क्षेत्रों और स (एमपीलैड्स)ेक्टरों के समावेशन के लिए एमपीलैड्स दिशाकी समीक्षा और उनमें संशोधन एक गतिशील प्रक्रिया है । एक गतिशील समाज निर्देशों-निर्देशों में -जहां स्थानीय समुदाय की विकासात्मक आवश्यकताएं बदलती रहती हैं । वहां एमपीलैड्स दिशा संशोधन/सुधार के लिए हितधारकों की सलाह और उनके इनपुट निरन्तर प्राप्त होते हैं । मंत्रालय नये परामर्शों और इनपूट्स की जांच करते हैं और यदि ये परामर्श व्यावहारिक और एमपीलैड्स योजना के उदेश्यों के अनुरूप पायी जाती है तो इनको दिशामें वर्तमान 2016निर्देशों में शामिल करता है । जून - ए जा चुके हैं ।संशोधन कि 21निर्देशों के जारी किए जाने से अब तक इनमें -एमपीलैड्स दिशा

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 10)

<u>सुविधा केन्द्र की आवश्यकता</u>

समिति नोट करती है कि योजना के अंतर्गत जिला कलेक्टर कार्यालय में सुविधा केन्द्र का प्रावधान है। उपकरण, फर्नीचर आदि सहित ऐसी सुविधाओं की स्थापना की पूंजीगत लागत ₹नहीं लाख से अधिक 5 2है और एमपीलैड्स निधियों के % प्रशासनिक शुल्क से पूरी की जाएगी। सुविधा केंद्रों का मुख्य कार्य सभी सांसदों को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक ही स्थान पर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है। मंत्रालय ने आगे समिति को अवगत कराया है कि माननीय सदस्य के संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी प्रत्येक किस्त से 2% प्रशासनिक व्यय इस अनुपात में साझा किया जाता है कि 0.2% राज्य नोडल विभाग को आवंटित किया जाता है 1% कार्यान्वयन जिले को आवंटित किया जाता है और 0.8% नोडल जिले द्वारा रखा जाता है ।

समिति को यह जानकर आश्चर्य होता है कि ऐसे मामलों में जहां एक सांसद भी सुविधा केंद्र का लाभ नहीं उठा रहा है, फिर भी सदस्य को जारी की गई प्रत्येक किस्त से 2% प्रशासनिक व्यय की कटौती की जाती है।समिति अपनी निराशा व्यक्त करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि सांसद के एमपीलैड्स निधि से 2% प्रशासनिक शुल्क की कटौती नहीं की जानी चाहिए, भले ही सुविधा केंद्र का लाभ नहीं उठाया गया हो। इस आलोक में, समिति मंत्रालय से एमपीलैड्स निधि से प्रशासनिक शुल्क की कटौती से संबंधित प्रावधान में उचित संशोधन करने का आग्रह करती है, जहां सुविधा केंद्र की सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जाता है।

सरकार का उत्तर

सुविधा केंद्र की स्थापना पर होने वाले खर्च को पूरा करने के अलावा, प्रशासनिक निधि के लिए की गई 2% की कटौती का उपयोग राज्य नोडल विभाग, नोडल जिला और कार्यान्वयन जिले (ओं) की विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों जैसे तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण-वास्तविक लेखा परीक्षा तथा गुणवत्ता जांच; राज्य स्तर पर कार्यों की निगरानी; संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं, हिन्दी को छोड़कर, में एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का अनुवाद; लेखों,आंकड़ा प्रविष्टि, वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड करने इत्यादि के लिए सेवाओं/परामर्शकों को किराए पर लेना; जनता के बीच योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा चल रहे और पूरे हो चुके कार्यों की सूचना का प्रसार करना, स्टेशनरी की खरीद; एमपीलैड्सयोजना/मॉनीटरिंग के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर (लैपटॉप को छोड़कर)सहित कार्यालयीन उपकरण; टेलीफोन/फैक्सशुल्क, डाकशुल्क इत्यादि के खर्चों को पूरा करने के लिए भी किया जाता है।

अर्थात्, सुविधा केन्द्र की स्थापना उन विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों में से एक है जिसके लिए 2% प्रशासनिक निधि का उपयोग किया जा सकता है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 12)

<u>निधियों की अनउपयोगिता</u>

समिति का मानना है कि एमपीलैड योजना के तहत कई मौकों पर बड़ी राशि उपयोग न की गई व्यपगत / रहती है क्योंकि तकनीकी मंजूरी, वित्तीय मंजूरी, प्रशासनिक मंजूरी आदि प्राप्त करने में देरी के कारण अनुमोदित परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकीं। समिति उम्मीद करती है कि मंत्रालय नोडल जिला प्राधिकारियों को निर्देश जारी करे कि अनुशंसित परियोजनाओंकार्यों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में / औपचारिकत/शामिल सभी मंजूरीाएं ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से समयबद्ध तरीके से की जा सकती हैं और जानबूझकर प्रक्रिया में देरी करने के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि ऐसी परियोजनाओं की सिफारिश आम जनता के कल्याणहित और उनके क्षेत्र के / सर्वांगीणविकास के लिए की जाती है।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि यदि कुछ अनुमोदित रियोजना समय पर शुरू नहीं हो स्वीकृत प/ पाती है, तो इसका एक वैध कारण होना चाहिए और इसे संबंधित सांसदों को समय पर सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे किसी अन्यकार्य के लिए निधि क/नई परियोजना/ा पुनआवंटन कर सकें। जो : एमपीलैड्सनिधि के उचित और इष्टतम उपयोग में काफी सहायता करेगा।

सरकार का उत्तर

एमपीलैड योजना के तहत माननीय सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों की प्रगति का शीघ्र निष्पादन और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एमपीलैड दिशानिर्देशों में विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं।

2. एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा-3.12 में कहा गया है कि: सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्, सभी अनुशंसित पात्र कार्य अनुशंसाकीप्राप्ति की तिथि से 75 दिनों के भीतर स्वीकृत किए जाने चाहिए । तथापि, जिला प्राधिकारी अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अस्वीकृति, यदि कोई है, के संबंध में उनके कारणों सहित संसद सदस्यों को सूचित करेगा ।"

3. एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा- 3.13 में प्रावधान है कि स्वीकृति पत्र/आदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कार्यसमापन की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। कार्य समापन के लिए समय-सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।यदि किसी विशेष मामले में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष की सीमा को पार कर जाता है, स्वीकृति पत्र/आदेश में उसके लिए विशेष कारण शामिल किए जाएंगे।स्वीकृति पत्र/आदेश में राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध उचित कार्रवाई की शर्त भी शामिल की जाएगी।संबंधित संसद सदस्य को स्वीकृति पत्र/आदेश की प्रति भेजी जाएगी।

4. जिला प्राधिकारी, जिला स्तर पर, योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा, और प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनाधीन कार्यों का कम से कम 10% तक का निरीक्षण करेगा ।जिला प्राधिकारी को जहां तक व्यवहार्य हो, संसद सदस्य को भी कार्यों के निरीक्षण में शामिल करना चाहिए ।[एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का पैरा 6.4(i)]।

5. जिला प्राधिकारी कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ, प्रत्येक माह तथा किसी भी हालत में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार एमपीलैड्स संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा । जिला प्राधिकारी संबंधित संसद सदस्य को समीक्षा बैठकों के लिए आमंत्रित करेगा तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को ऐसी समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट भेजेगा [एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का पैरा 6.4(vi)]।

6. एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा- 6.5(i) में प्रावधान है कि यह कार्यान्वयन अभिकरण के अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी कि कार्य स्थलों का नियमित दौरा करें और सुनिश्चित करेंकि कार्य, निर्धारित कार्यविधि और विनिर्देशों और समय अनुसूची के अनुसार संतोषजनक प्रगति कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, एमपीलैड्स के पैरा 6.5(ii) में यह अपेक्षित है कि कार्यान्वयन अभिकरण प्रत्येक कार्य की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति से जिला प्राधिकारी को प्रत्येक माह अवगत कराएंगे इसकी एक प्रति संबद्ध राज्य विभाग को भी प्रस्तुत की जाएगी । कार्यान्वयन अभिकरण सॉफ्ट फारमेट में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । कार्यान्वयन एजेसिंयों द्वारा उनके द्वारा शुरू की जा रही परियोजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले कार्य-रजिस्टर का भी रखरखाव किया जाना चाहिए । इस रजिस्टर में कार्यान्वयन एजेसिंयों द्वारा किए गए स्थल दौरों के ब्यौरे भी होंगे । कार्यान्वयन एजेंसी को 100% कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए ।

7. इसके अलावा, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का पैरा 6.5(iii) निर्दिष्ट करता है कि कार्यान्वयन अभिकरण, कार्य समाप्त होने के एक माह के अंदर जिला प्राधिकारी को समापन रिपोर्ट/प्रमाणपत्र और उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे ।

8. सुविधा केंद्रों को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी चाहिए (एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 9.2के अनुबंध-IIक): -

(i) कार्यों का ब्यौराः(क) संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित (ख) जांच हेतु लंबित (ग) अनुपयुक्त पाए गए तथा अस्वीकार किए गए(घ) स्वीकृत (ड.) लंबित संस्वीकृति, कारणों सहित

(ii) कार्यों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति सहित कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा ।

(iii) कार्यों पर वहन किए गए कुल व्यय सहित पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा ।

(iv) नवीनतम मासिक प्रगति रिपोर्ट ।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 13)

<u>वास्तविक समय डाटा की उपलब्धता में सुगमता</u>

डैशबोर्ड का रखरखाव कर रहा है जो देश में एमपीलैड /समिति नोट करती है कि मंत्रालय एक वेबसाइट योजना के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्नपरियोजनाओंप्रगति को दर्शाता /स्थिति कार्यों की वास्तविक समय/ प्रगति की जांच करने में /कार्यों की स्थिति/साथ आम जनता को इन परियोजनाओं-है ताकि सांसदों के साथ सक्षम बनाया जा सके। लेकिन समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके अनुशंसित कार्यों की स्थिति के संबंध में जिला परिषदजिला प्रशासन से कोई सूचना नहीं / डैशबोर्ड से अवगत हों/मिलती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक लोग इस वेबसाइट, समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने पूर्व में राज्य सरकारनोडल जिला प्राधिकारियों को इस संबंध/ में आवश्यक कदमसंचालनों के संबंध में सूचना प्रसारित /थ इसकी विशेषताओंसा-उपाय करने के साथ/ करने और प्रशिक्षण भी देने का निर्देश दिया है। तथापि, वांछित प्रभाव अभी भी नहीं देखा जा रहा है। समिति पुरज़ोर रूप से महसूस करती है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयके एमपीलैड्स पर मौजूदा डैशबोर्ड की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है और एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल-वेब/ आधारित एमआईएस विकसित करना है, जिसमें यह सुनिश्चित करता है कि एमपीलैड योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों कार्यों के संबंध में सूचना तैयार/परियोजनाओं/की जाती है और समय पर अद्यतन की जाती है । यह सांसदों के साथपरियोजनाओं /साथ आम जनता सहित सभी हितधारकों को इन कार्यक्रमों - वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में सहायता /कार्यों की स्थिति और प्रगति के बारे में अद्यतन / करेगा। समिति पुरज़ोर रूप से महसूस करती है कि मंत्रालय को सांसदों के लिए एमपीलैड्स पोर्टल का एक विस्तृत और उपयोगकर्ता के अनुकूल डैशबोर्ड विकसित करने की दिशा में प्रयास करना जारी रखना चाहिए, विशेष रूप से, जिसमें वे अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित विकास कार्यों के संबंध में कार्यवृत्त और परिपत्रोंखाते में लॉग इन कर सकते हैं। एक -लिए अपने ई अधिसूचनाओं को देखने के/ स्वचालित एसएमएस अलर्ट तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए ताकि संसद सदस्य सदस्य के विशिष्ट डैशबोर्ड पर परिपत्रों इत्यादि को अपलोड करने से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की सकें। इसके अलावा, उक्त अधिसूचनाओं में से प्रत्येक एक प्रति स्वचालित रूप से सभी राज्य सचिवोंसंघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों तक/ पहुंच जानी चाहिए, जो उसके बाद, अपने राज्यडीसी को इसका /संघ राज्य क्षेत्र में तैनात सभी डीएम/ समर्थन कर सकते हैं। समिति इस संबंध में उठाए गएकदमों से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने एमपीलैड्स पोर्टल (www.mplds.gov.in) पर वित्तीय विवरणों के साथ कार्यों/परियोजनाओं के विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए जिला प्राधिकारियों हेतु प्रावधान किए है । परियोजना/कार्य-वार विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए लाग- इन आईडी जिला प्राधिकारियों को पहले ही दे दी गई है । यही टैब "डब्ल्यूएमएस रिपोर्ट" के माध्यम से सामान्य जनता के लिए दिखाई देता है।

2. एमपीमलैड्स पोर्टल का नया संस्करण ऑनलाइन कार्यों/परियोजनों के लिए बनी संस्तुतियों हेतु माननीय सदस्यों के लिए प्रावधानों के साथ जून, 2019 में लांच किया गया था। इसके अलावा, कार्यक्रम एजेंसी एक हितधारक के रूप में लक्षित उद्देश्य तक डेटा की कणिकता को बढ़ने के लिए एमपीलैड्स पोर्टल पर पहले ही डाल दिया गया है। एकीकृत एमपीलैडस पोर्टल में ऑडिट प्रमाण-पत्र , यूटिलाइजेशन प्रमाण-पत्र , प्रोविजनल यूटिलाइजेशन प्रमाण-पत्र और मासिक प्रगति रिपोर्टों को ऑनलाइन सबमिट करने की सुविधा है। जिला अधिकारियों को एमपीलैड पोर्टल पर इन सेवाओं / सुविधाओं का अत्यधिक उपयोग करने की सलाह दी गई है।

3. मंत्रालय संशोधित दिशा-निर्देश जारी होने के बाद मौजूदा एमपीलैड्स पोर्टल को और बेहतर बनाने पर विचार कर रहा है।

टिप्पणियां सिफारिश/(क्रम सं .14)

<u>निगरानी समिति</u>

समिति नोट करती है कि योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर निगरानी समिति का प्रावधान है जो कि निधियों के जारी होने कार्य के उचित एवं समय पर ,प्रशासनिक स्वीकृति ,क्रियान्वयन आदि पर नजर रखेगी। एमपीलैड कार्यों का कार्यान्वयी एजेंसी के साथ हर महीने और किसी भी मामले मेंहर तिमाही में , जिला ,कम से कम एक बार कार्यान्वयनकी समीक्षा करना जिला प्राधिकरण का कार्य है। इसके अलावा प्राधिकरण को संबंधित सांसदों को ऐसी समीक्षा बैठकों में आमंत्रित करना है और ऐसी समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजना है। इसे देखते हुएसमिति मंत्रालय से , यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि एमपीलैड योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी समिति द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाए और विभिन्न कमियों पर ध्यान आकर्षित किया जाएजो योजना के कार्यान्वयननिष्पादन में बाधा डालती हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि इस तरह की/ जो मंत्रालय को रिपोर्ट में न ,समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त होिहित टिप्पणियोंसिफारिशों के आधार पर तत्काल आवश्यक कदम उठाने और इस तरह सामने आए/ कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी।/मुद्दों

सरकार का उत्तर

इस योजना में अच्छी तरह से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला स्तर पर एक बहुत ही मजबूत निगरानी तंत्र है।

2. जिला स्तर पर, जिला प्राधिकारी कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ, प्रत्येक माह तथा किसी भी हालत में प्रत्योक तिमाही में कम से कम एक बार एमपीलैड्स संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा । जिला प्राधिकारी संबंधित संसद सदस्य को समीक्षा बैठकों के लिए आमंत्रित करेगा तथा सांख्यिलकी और कार्यक्रम कार्यान्वंयन मंत्रालय को ऐसी समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट भेजेगा । मंत्रालय को कुछ जिला

प्राधिकारियों से निगरानी समितियों की ऐसी समीक्षा बैठकों की रिपोर्टें प्राप्त होती रही हैं। तथापि, समिति के सुझाव को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए नोट कर लिया गया है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 15)

<u>तृतीय पक्षीय वास्तविक मूल्यांकन</u>

समिति ने पाया कि एमओएसपीआई ने मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के समग्र संशोधन का कार्य शुरू कर दिया है जो वित्तीय वर्ष जिलों में एमपीलैड्स कार्यों 216 के दौरान 22-2021 और 21-2020 के प्रस्तावित तीसरे पक्ष के वास्तविकमूल्यांकन के निष्कर्षों पर आधारित होगा। समिति को आगे सूचित किया जाता है कि एमपीलैड के तीसरे पक्ष के वास्तविकमूल्यांकन हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जिसमें एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एमपीलै ,क्रिया में हैवर्तमान में प्रड के काम का मूल्यांकन करेगा। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि एमओएसपीआई अपने मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन के माध्यम से एमपीलैड योजना के उन्नयन में सक्रिय रूप से लगी हुई है और अब तक इस योजना के तहत कार्यों में सुधार के लिए बीस संशोधन किए गए हैं। इसे देखते हुएसमिति चाहती है कि , मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि एमपीलैड्स के तहत स्वीकृत कार्य केवल वितरित न हों बल्कि आने वाले चयनित तृतीय पक्ष मूल्यांकनकर्ता के वर्षों तक चालू रहें। समिति को आशा है कि उनकी सिफारिशों को समक्ष रखा जाएगा । वे मंत्रालय से इस योजना के तहतस्वीकृत कार्यों के लिए किए गए तीसरे पक्ष के वास्तविकमूल्यांकन की स्थिति पर भी उन्हें अद्यतन करने का आग्रह करेंगे । समिति उचित समय पर तीसरे पक्ष के मूल्यांकन दल की रिपोर्ट पर एमओएसपीआई द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी ।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से देश भर के -03-31 से 2014-04-01 जिलों में 216 परिसंपत्तियों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया। /की अवधि के दौरान सृजित एमपीलैड्स कार्यों 2019 -8-31 में किया गया था और एजेंसी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 2021 मूल्यांकन एक निजी एजेंसी द्वारा वर्ष को प्रस्तुत की थी। 2021

मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए गए सुझावों की जांच की जा रही है और यदि एमपीलैड योजना के उद्देश्यों के साथ व्यवहार्य और अनुरूप पाया गया तो इसे संशोधित दिशानिर्देशों में सम्मिलित किया जाएगा ।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 16)

<u>तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए निधियों की पूर्ण उपयोगिता</u>

समिति नोट करती है कि मंत्रालय एमपीलैड योजना के अंतर्गत सृजित विकास कार्योंपरियोजनाओं/ शीर्ष 'पेशेवर सेवाएं' करोड़ अलग रखता है । मंत्रालय को 10₹ का तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए सालाना के तहत गुणवत्ता और लागतआधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम तीसरे पक्ष से मूल्यांकन के (क्यूसीबीएस) राशि आवंटित की जाती है। समिति ने पाया कि करोड़ की 10₹ लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के चयन के लिए 10 ₹ कारण से इस ,मंत्रालय तीसरे पक्ष के मूल्यांकन कराने में अनियमित रहा हैकरोड़ इस तरह के) मूल्यांकन के लिएअभ्यर्पित हो जाता है। (समिति इस चूक को गंभीरता से लेती है और मंत्रालय से एक तंत्र तैयार करने का आग्रह करती है जो हर साल परियोजनाओं के नमूने के लिए वार्षिक मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। मंत्रालय में एक समर्पित इकाई स्थापित की जानी चाहिए जो बिना किसी चूक के नियमित मूल्यांकन को प्राथमिकता देगी। समिति मंत्रालय द्वारा किए गए पिछले तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के परिणामों और उस पर की गई कार्रवाई से भी अवगत होना चाहेगी ।

सरकार का उत्तर

<u>तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए बीई 2020-21 में प्रदान किए गए 10 करोड़ रुपए (जिसे आरई 2020-21 में कम करके 2 करोड़ रुपए कर दिया गया) के अभ्यर्पण के कारण</u>

प्रशासनिक कारणों से एल-1 को अंतिम रूप देने और तृतीय पक्ष द्वारा एमपीलैड्स कार्यों के मूल्यांकन के लिए संविदा पर विचार करने में विलम्ब हुआ, अतएव, सम्पूर्ण राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में समाप्त नहीं की जा सकी । तथापि, योजना का मूल्यांकन वर्ष 2021 में किया गया था, जैसा कि नीचे उल्लिखित है ।

<u>एमपीलैड्स का तृतीय पक्ष मूल्यांकन</u>

मंत्रालय समय-समय पर तृतीय पक्ष के माध्यम से एमपीलैड योजना का मूल्यांकन करवा रहा है । वर्ष 2007-08 में, मंत्रालय ने एमपीलैडस कार्यों की तृतीय पक्ष निगरानी के संचालन के लिए राष्ट्रीय कृषि बैंक और ग्रामीण विकास परामर्श सेवाओं (एनएबीसीओएनएस) को काम पर लगाया । 208 जिलों की निगरानी चार चरणों में चार साल वर्ष-2007-08 से 2010-11 में की गई थी ।

वर्ष 2012-13 में, मंत्रालय ने 100 चयनित जिलों, जिसमें उत्तर क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र में प्रत्येक 50 जिलों को शामिल किया गया था, में एमपीलैड्स कार्यों की तृतीय पक्ष निगरानी के लिए कृषि वित्त निगम (एएफसी) लिमि. को काम काम पर लगाया था ।

वर्ष 2021 में, मंत्रालय ने वर्ष 01.04.2014 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान चयनित 216 नोडल जिलों में एमपीलैड्स के अंतर्गत किए गए कार्य की निगरानी/मूल्यांकन के लिए एक एजेंसी, नामत:मैसर्स टेलॉइट टौच तोहमत्सु इंडिया एलएलपी (डेलॉइट) को नियुक्त किया है ।

<u>पूर्व तृतीय पक्ष मूल्यांकन के परिणाम</u>

<u>निष्कर्ष:</u>

एनएबीसीओएनएस और एएफसी, दोनों निगरानी एजेंसियों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, पाया कि एमपीलैड योजना एक अनूठी योजना है, जिसमें विकेंद्रीकृत विकास की विशिष्ट विशेषताएं हैं और इसके परिणामस्वरूप अच्छी गुणवत्ता वाली संपत्ति का निर्माण हुआ है, जिसका सकारात्मक प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताने-बाने और भौतिक वातावरण पर पड़ा है। एनएबीसीओएनएस ने अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया था कि वृहद स्तर पर, एमपीलैड योजना की उपलब्धि अन्य योजना के साथ अतुलनीय प्रतीत होती है। अखिल भारतीय स्तर पर यह एकमात्र योजना है जिसमें स्थानीय समुदायों, समूहों और लोगों के वर्गों की भागीदारी का अनुभव/सुनिश्चित किया जाता है ताकि "आवश्यकताओं" और स्थानीय लोगों की इच्छा सूची के अनुसार कार्यों/सुविधाओं की पहचान की जा सके।

तथापि, एमपीलैड्स कार्य की तृतीय पक्ष भौतिक निगरानी से योजना के कार्यान्वयन में कुछ कमियों/खामियों का खुलासा हुआ है; जिनमें कुछ अपात्र कार्यों की स्वीकृति, एमपीलैड्स परिसंपत्तियों का अतिक्रमण, कुछ एमपीलैड्स परिसंपत्तियों का न होना, एमपीलैड्स परिसंपत्तियों के उपयोग का विचलन, वित्तीय स्वीकृति में देरी और अपात्र ट्रस्ट/सोसाइटियों को दिए गए कार्यों और कार्यों को पूरा करना शामिल है।

डेलोइट की रिपोर्ट से पता चला है कि कुल मूल्यांकन और सत्यापित परिसंपत्तियों में से, 95.9% संपत्ति कार्यात्मक पाई गई और एमपीलैड्स के तहत बनाई गई कुल प्रतिदर्श परियोजनाओं में से 95.6% अचल/टिकाऊ पाई गई। रिपोर्ट में आगे खुलासा किया गया कि एमपीलैड्स भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित कुछ बहु-क्षेत्रीय योजनाओं में से एक है। एमपीलैड्स के तहत कार्यान्वित कार्य देश के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि को सीधे या अन्य तरीकों से प्रभावित कर रहे हैं जिनका कुछ बड़े विकास लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट पुष्टि करती है कि एमपीलैड्स अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है और उसमें दिशानिर्देशों और प्रौद्योगिकी में उपयुक्त परिवर्तनों के साथ एमपीलैड्स को जारी रखने की सिफारिश की गई है।

<u>की गईकार्रवाई:</u>

एनएबीसीओएनएस और एएफसी की रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं के सभी मामलों में, मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और संबंधित जिला प्राधिकारियों से गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया था। अन्य मामलों में, अतिक्रमण को हटाने,

अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने, संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए बहाल करने और सभी कार्य स्थलों में पट्टिकाओं के निर्माण जैसे उपयुक्त सुधार उपायों का सुझाव दिया गया था।

इसके अलावा, जिला/राज्य सरकार को एमपीलैड्स कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य प्रक्रिया का पालन करने, रखरखाव के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी से प्रतिबद्धता लेने, कार्य पूरा होने के तुरंत बाद कार्य पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने, संबंधित रजिस्टरों/अभिलेखों के रखरखाव आदि के लिए निदेश जारी किए गए थे।

दोनों एजेंसियों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा की गई विभिन्न बैठकों और राज्य के दौरों में एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन दोहराया गया। इसके अलावा, दिशा-निर्देशों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है जैसे कि निधियों को जारी करने के लिए अव्ययित शेष की सीमा तय करना ताकि इन निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

डेलोइट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया है और इस मंत्रालय में भी इसकी जांच की जा रही है।

अध्याय तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय चार

टिप्पणियां / सिफारिशें, जिनके सम्बन्ध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं और जिन्हे दोहराए जाने की आवश्यकता है

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 5)

<u>परित्यक्त परियोजनाओं/कार्यों को पूर्ण करना</u>

समिति ने पाया कि कई मौकों पर पूर्ववर्ती सांसद के कार्यकाल के दौरान प्रस्तावितअनुमोदित ,स्वीकृत , उत्तरवर्ती सांसद के ,कार्यों को छोड़ दिया गया था। कुछ मामलों में/और शुरू की गई कुछ परियोजनाओं कार्यकाल के दौरान उन परियोजनाओं को न तो कार्यात्मक पाया गया और न ही उपयोग की स्थिति में पाया गया। समिति का मानना है कि यद्यपि उत्तराधिकारी सांसद ऐसी परियोजनाओंकार्यों को पूरा करने / कार्यों को पूरा करने के लिए अनिच्छुक हैं। /लेकिन राज्य सरकारें परियोजनाओं ,की अनुशंसा करते हैं समिति इसे एक गंभीर खामी के रूप में देखती है और मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह ऐसी परियोजनाओं जो निर्वाचित प्रतिनिधि के परिवर्तन के कारण पिछड़ रही हैं । चूंकि किसी भी) की पहचान करने के लिए राज्य (कार्य को बीच में छोड़ना धन की भारी बर्बादीहोगा/परियोजना नोडल जिला प्राधिकारियों के साथ मा/प्राधिकारियोंमला उठाएं और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए कदम उठाएं। समिति अनुशंसा करती है कि *अन्य बातों के साथसाथ एमपीलैड योजना का मूल्यांकन - करने*में मंत्रालय की भूमिका है और इसलिए प्रत्येक राज्य से ऐसी परित्यक्त परियोजनाओं के बारे में सूचना प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि स्वीकृत परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाएं। समिति का यह भी मत है कि पूर्ववर्ती सांसद को आवंटित अप्रयुक्त निधि का उपयोगदस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया में न्यूनतम विलंबके साथ ऐसी परित्यक्त परियोजनाओंरने के लिए किया जाना चाहिए। समिति लोकसभा के पिछले तीन कार्यों को पूरा क/ वार स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करना -सांसद/संघ राज्य क्षेत्र/कार्यकालों के लिए ऐसी परियोजनाओं पर राज्य चाहेगी।

सरकार का उत्तर

एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा-3.13 में प्रावधान है कि स्वीकृति पत्र / आदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कार्य समापन की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। कार्य समापन के लिए समय-सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी विशेष मामले में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष की सीमा को पार कर जाता है, स्वीकृति पत्र / आदेश में उसके लिए विशेष कारण शामिल किए जाएंगे। स्वीकृति पत्र / आदेश में राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध उचित कार्रवाई की शर्त भी शामिल की जाएगी। संबंधित संसद सदस्य को स्वीकृति पत्र / आदेश की प्रति भेजी जाएगी।

एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा-3.23 में कहा गया है कि जिला प्राधिकारी के कार्यालय में एमपीलैड्स निधियों से पूरे किए गए और जारी सभी कार्यों की सूची लगाई जानी चाहिए और आम जनता के सूचनार्थ वेबसाइट पर भी डाली जानी चाहिए। जनता की जानकारी के लिए पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा तहसील / निबत / उप-तहसील / ब्लॉक / ग्राम पंचायत कार्यालयों जैसे प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित किया जा सकताहै।

एक स्थायी सिद्धांत के रूप मेंजिला प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों को एक बार अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना है।यदि कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तो एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.3.1 को लागू किया जा सकता है जो निम्नानुसार निर्धारित करता है:

"यदि अभी भी योजना के तहत कोई परित्यक्त / निलंबित एमपीलैड कार्य मौजूद है, इसे राज्य सरकार द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार इस संबंध में उत्तरदायित्व भी निश्चित करेगी तथा चूककर्ता पदधारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। जिला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निधियों का उपयोग अवश्य ही इस प्रकार होना चाहिए जैसाकि पहले स्वीकृत किया गया था ताकि निधियों के आवंटन की द्विरावृत्ति न हो।"

यह उत्तराधिकारी संसद सदस्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसी परित्यक्त परियोजना/कार्य को पूरा करने के लिए अपने एमपीलैड्स फंड से राशि की सिफारिश करे।नए सदस्य की एमपीलैड्स निधि से छोड़े गए कार्य के लिए जिला प्राधिकरण द्वारा राशि तभी स्वीकृत की जाएगी जब सदस्य अपने लेटरहेड पर औपचारिक रूप से ऐसा करने के लिए अपनी सहमति इंगित करता है।

एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यों को लगन से निष्पादित करने पर, कार्यों से प्राप्त अव्ययित धनराशि/बचत कार्यान्वयन एजेंसी से जिला प्राधिकरण को वापस कर दी जाती है।

<u>एमपीलैड्स के तहत किए गए कार्यों का मूल्यांकन</u>

मंत्रालय एमपीलैड योजना के तहत किए गए कार्यों का समय-समय पर इस मंत्रालय से स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन करवाता रहा है। पिछला ऐसा मूल्यांकन वर्ष 2021 में किया गया था जब इस मंत्रालय ने 01.04.2014 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान चयनित 216 नोडल जिलों में एमपीलैड्स के तहत किए गए कार्यों की निगरानी/मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति की थी। मूल्यांकन के अंतिम निष्कर्ष/रिपोर्ट को आगे की उचित कार्रवाई के लिए जिला अधिकारियों और राज्य नोडल विभाग को भेज दिया गया है।

<u>परित्यक्त परियोजनाओं की स्थिति</u>

ऐसी परियोजनाओं पर लोकसभा के पिछले तीन कार्यकालों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एमपी वार स्थिति रिपोर्ट एकत्र/संकलित की जा रही है और इसे नियत समय में प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति की टिप्पणी
कृपया अध्याय I का पैरा संख्या 14 देखें

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 9)

<u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेंटेज चार्ज</u>

समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने एमपीलैड योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओंकार्यों को / शुरू करने के लिए एनबीसीसी लिमिटेड जैसे कई सार्वजनिक उपक्रमों को अधिकृत किया है जबकि राज्य स्तर पर इसे राज्य निगमों द्वारा पूरा किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य निगम दोनों एमपीलैड योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण कार्य के कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षीवास्तुकला और अन्य , नोट करती है कि मौजूदा एमपीलैड्स ,संस्थागत सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त समिति दिशानिर्देशों के अनुसारसार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रतिशत शुल्क की , अनुमति नहीं दी गई है। यह सामान्यतया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आधिकारिक रूप से वसूल किए जाने वाले प्रतिशत शुल्क के संदर्भ में जिला स्तर पर विवाद का कारण बनता है। समिति का मत है कि चूंकि ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केंद्रीय बजट से पैसा नहीं लेते हैंमंत्रालय को एमपीलैड्स के , कार्यों के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के /तहत परियोजनाओं उपक्रमों दोनों के लिए स्वीकृत अधिकतम प्रतिशत सीमा सहित दिशानिर्देशों में उचित संशोधन करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

एमपीलैड्स दिशा4 -निर्देशों के पैरा-.17. 1में नियत है:-

" सेंटेज प्रभार, आदिः प्रशासनिक व्ययों, जैसा कि पैरा 4.में प्रावधान किया गया है 17, को शामिल न करते हुए नोडल विभाग, जिला प्राधिकारी अथवा कार्यान्वयन एजेंसी एमपीलैड्स के तहत प्रारंभिक कार्यों सहित कार्यों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में किसी व्यय जैसे, पर्यवेक्षण प्रभार, सेंटेज प्रभार, कार्मिकों का वेतन, यात्रा व्यय आदि की मांग नहीं करेगी"।

एमपीलैड्स के तहत परियोजनाओं कार्यों के लिए सीपीएसयू और राज्य के/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शतप्रतिशत शुल्क की अनुमति देने के सुझाव की जांच की गई है और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में - शामिल करने के लिए इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

समिति की टिप्पणी
कृपया अध्याय I का पैरा संख्या 17 देखें

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 17)

<u>समयबद्ध कार्रवाई</u>

समिति ने पाया कि एमपीलैड दिशानिर्देशों के पैरा में चूककर्ता कार्यान्वयन एजेंसियों के 3.13 स्वीकृति पत्र में आवश्यक ,निर्देशों के अनुसार-खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। दिशारूप से कार्य पूरा करने की समय सीमा का उल्लेख होना चाहिए जो आम तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समिति नोट करती है कि सरकारी प्रक्रिया के अनुसार कार्य को पूरा करने में विफलता की स्थिति में स्वीकृति पत्र में कार्यान्वयन एजेंसी के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई के लिए एक खंड शामिल होना चाहिए। समिति को यह जानकर खुशी हुई कि एमपीलैड दिशानिर्देशों की परिकल्पना परिणाम प्राप्त करने के लिए की गई हैलेकिन मंत्रालय के पास दिशानिर्देशों के तहत प्रावधानों को क्रियान्वित करने का दायित्व है। वे , मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि स्वीकृत विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ ठोस प्रयास करें । इसलिएसमिति उन मामलों से अवगत होना चाहेगी जहां जिला प्राधिकरण से प्राप्त , कार्रवाई की गई थी। 'उपयुक्त' असंतोषजनक प्रतिक्रिया पर चूककर्ता एजेंसियों के खिलाफ

सरकार का उत्तर

एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा-3.13 में नियत है कि "स्वीकृति पत्र/आदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कार्य समापन की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी । कार्य समापन के लिए समय-सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि किसी विशेष मामले में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष की सीमा को पार कर जाता है, स्वीकृति पत्र/आदेश में उसके लिए विशेष कारण शामिल किए जाएंगे । स्वीकृति पत्र/आदेश में राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध उचित कार्रवाई की शर्त भी शामिल की जाएगी । संबंधित संसद सदस्य को स्वीकृति पत्र/आदेश की प्रति भेजी जाएगी ।"

2. साथ ही, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा-3.14 में नियत है कि " योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तर के अधिकारियों के पास होता है । इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए, राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जिले के प्राधिकारियों को पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए ।जिला प्राधिकारियों को अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व सक्षम जिला अधिकारियों से कार्यों को तकनीकी रूप से अनुमोदित करवाने और वित्तीय प्राक्कलन तैयार करवाने का पूर्ण अधिकार होगा । कार्य स्वीकृत करने से पूर्व जिला प्राधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारियों से सभी अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं और कार्य दिशानिर्देशों के अनुरूप है ।"

3. एक संघीय ढांचे में, जिला प्राधिकारियों के कामकाज पर प्रत्यक्ष अधीक्षण के लिए किसी तंत्र की कल्पना करना संभव नहीं हो सकता है, हालांकि, मंत्रालय ऐसे मामलों पर विचार करता है जो इसके संज्ञान में लाए जाते हैं, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसी सरकारी प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने में विफल रही हो। ऐसे मामलों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ उठाया जाता है जिससे मंत्रालय एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन को दोहराने के अलावा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने पर जोर देता है।

समिति की टिप्पणी
कृपया अध्याय I का पैरा संख्या 23 देखें

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 18)

<u>अधीनस्थ इकाई/कार्यालय का निर्माण</u>

समिति का मानना है कि जिला स्तर पर निगरानी समितियों की अवधारणा को समय पर धन जारी करनेलेकिन प्रत्येक ,विकास कार्यों को पूरा करने आदि पर नजर रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है , जिले में एमओएसपीआई द्वारा/राज्यकार्यों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण नहीं है। एमपीलैड्सएक केंद्रीय योजना , लेखा रखने और मूल्यांकन में अपनी भूमिका के लिए ,निगरानी ,धन जारी करने ,होने के कारण इसलिए समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि एमओएसपीआई को ,एमओएसपीआई के दायरे में आता है एक समर्पित निगरानी इकाई स्थापित करनी चाहिए ताकि एमपीलैड्स के तहत स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगतिपर सीधी नज़र रखी जा सके। एक बार वास्तविक समय डेटा के साथ एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित हो जाने के बादइस समर्पित इकाई के लिए प्रत्येक संकेतक की प्रगति की निगरानी करना , आसान होगा और योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता और गति प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान मेंमंत्रालय , स्वीकृति पत्र आदि के संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए निगरानी समितियों की रिपोर्ट ,धन जारी करने की प्रतीक्षा करता है और उन पर निर्भर करता है। समिति का दृढ़ मत है कि एक (तिमाही) इकाई होने से निश्चित रूप से राज्य स्तर पर किसी भी समस्या की पहचान होगी और एमपीलैड्स परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित और कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ और बेहतर समन्वय होगाक्योंकि एमपीलैड्स को क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जा ,ता है।

सरकार का उत्तर

एमपीलैड योजना में अच्छी तरह से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ केंद्र, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, जिला स्तर पर एक बहुत सशक्त निगरानी तंत्र है: -

क**. केंद्रीय स्तर पर:** मंत्रालय एमपीलैड योजना (एमपीलैड दिशानिर्देशों के पैरा 6.2) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र में भी बैठकें करता है।

ख. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर:** मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जिला प्राधिकारियों और संसद सदस्यों के साथ एक वर्ष में एक बार एमपीलैड्स कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया । ऐसी बैठकों मेंनोडल विभागों के सचिव , और अन्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को भी भाग लेना चाहिए(एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 6.3)।

ग. **जिला स्तर पर:** जिला प्राधिकारी कार्यान्वयन अभिकरणों के साथप्रत्येक माह तथा किसी भी , हालत में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार एमपीलैड्स संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा । जिला प्राधिकारी संबंधित संसद सदस्य को समीक्षा बैठकों के लिए आमंत्रित करेगा तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को ऐसी समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट भेजेगा (एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 6.4)।

समिति की टिप्पणी
कृपया अध्याय I का पैरा संख्या 26 देखें

अध्याय पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें,जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 11)

<u>प्रशासनिक व्यय की लेखा परीक्षा की आवश्यकता</u>

एमपीलैड दिशा2निर्देशों के अंतर्गत -% प्रशासनिक व्यय का प्रावधान है जो जिला कलेक्टर कार्यालय में सुविधा केंद्र के लिए काटा जाता है।माननीय सदस्य के संबंध में जारी की गई प्रत्येक किस्त से 2% प्रशासनिक व्यय, दिए गए अनुपात में नोडल प्राधिकरण, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण और राज्य नोडल विभाग द्वारा साझा किया जाता है।समिति ने अवलोकन किया है कि एक बार नोडल जिले द्वारा वितरित किए गए प्रशासनिक व्यय को व्यय के रूप में माना जाएगा, उन खर्चों के लिए अलग से उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। सुविधा केंद्र की लागत सांसदों को आवंटित एमपीलैड्स निधि से काटे गए 2% प्रशासनिक खर्चों में से वहन की जाती है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति का दृढ़ मत है कि मंत्रालय को इन खर्चों के उचित उपयोग पर सख्ती से निगरानी और जांच करनी चाहिए । मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संबंध में किसी भी तरह के दुरुपयोग के अपराधी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए । समिति पुरज़ोर रूप से महसूस करती है कि यह 2% प्रशासनिक व्यय अनिवार्य रूप से सार्वजनिक धन है और इसके उचित उपयोग का पता लगाने के लिए एक अनिवार्य लेखा परीक्षा होनी चाहिए। समिति मंत्रालय से इस संबंध में जिला अधिकारियों के परामर्श से दिशानिर्देश तैयार करने का आग्रह करेगी ताकि उन्हें अगले वित्तीय वर्ष से अधिसूचित किया जा सके। इस संबंध में उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

सुझाव को नोट कर लिया गया है और यह देखने के लिए यदि एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में शामिल करना व्यवहार्य है तो हितधारकों के परामर्श से इसकी जांच की जाएगी ।

समिति की टिप्पणी
कृपया अध्याय I का पैरा संख्या 20 देखें

नई दिल्ली;
<u>16 मार्च, 2023</u>
25 फाल्गुन, 1944 (शक)

गिरिश भालचन्द्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

परिशिष्ट I

प्राक्कलन समिति (2022-23) की सोलहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

समिति ने गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक कक्ष संख्या '52-B', प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में बैठक की।

उपस्थित

श्री निहाल चंद चौहान – संयोजक

2. कुँवर दनिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री पी. पी. चौधरी
5. डॉ. संजय जायसवाल
6. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
7. श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप
8. डॉ.के.सी.पटेल
9. श्री राजीव प्रताप रुडी
10. श्री विनायक भाऊराव राऊत
11. श्री मागुण्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी
12. श्री अशोक कुमार रावत
13. श्री फ्रांसिस्को सारदीना
14. श्री जुगल किशोर शर्मा
15. श्री प्रताप सिम्हा
16. श्री श्याम सिंह यादव
17. श्री दिलीप शइकीया
18. श्रीमति संगीता कुमारी सिंह देव

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता भट्ट पंडा -		अपर सचिव
2.	श्री मुरलीधरन. पी	-	निदेशक
3.	श्री आर. सी. शर्मा -		अपर निदेशक

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक के एजेंडे अर्थात तीन प्रारूप रिपोर्ट (रिपोर्टों) पर विचार करना और उन्हें अपनाना, के बारे में जानकारी दी। ।

3. इसके बाद समिति ने निम्नलिखित मसौदा प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें अपनाने का कार्य शुरू किया:

(i) 'एमपीलैड फंड योजना के तहत फंड आवंटन और उपयोगिता की समीक्षा' विषय पर समिति की 14वीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई;
(ii) xxx xxx
(iii) xxx xxx

4. समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद की गई कार्रवाई प्रतिवेदन के मसौदे को अपनाया। तत्पश्चात् समिति ने अध्यक्ष को प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उसे लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।
5. xxx xxx

तत्पश्चात कमेटी की बैठक स्थगित हो गई।

[खंडन: हिंदी संस्करण में किसी संदेश/ व्याख्या की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाना चाहिए]

परिशिष्ट II

प्राक्कलन समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(सत्रहवीं लोकसभा)

(i)	टिप्पणियों/सिफारिशों की कुल संख्या	18
(ii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: (क्र. सं. 1,2,3,4,6,7,8,10,12,13,14,15,16)	13
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	72.22%
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: (शून्य)	00
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	0%
(iv)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं: (क्र. सं. 5,9,17,18)	04
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	22.22%
(v)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं: (क्र. सं. 9)	01
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	5.56%